केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक– 423)

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ''स्वयं सहायता समूह'' का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - xi**
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1–8
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	9–26
तृतीय	अध्ययन परिणाम	27–44
चतुर्थ	योजना का वास्तविक स्वरूप, कठिनाईयाँ एवं सुझाव	45–55
	परिशिष्ट–**I**	56
	परिशिष्ट– **II**	57
	परिशिष्ट– **III**	58
	मूल्यांकन कार्य सम्पादन में सहभागी अधिकारी/कर्मचारी	59

*****

उद्‌बोधन

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम राज्य में वर्ष 1997–98 से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य महिलाओं को बचत तथा ऋण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजना प्रारम्भ वर्ष से वर्ष 2005–06 तक कुल 109055 समूहों का गठन किया गया एवं समूहों द्वारा कुल 5385.19 लाख रुपये की स्वयं की बचत की गई। योजनान्तर्गत 55587 समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर महिलाओं की आय सृजन में भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की प्रगति के आकलन हेतु राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया।

अध्ययन प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि समूह की सदस्य महिलाओं में संगठित होने, विचारों की अभिव्यक्ति करने, छोटी–छोटी बचत से आवश्यकताओं की पूर्ति करने, घर से निकलकर बैंक तक पहुँचने जैसी जागरूकता से महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति आयी है। प्रतिवेदन में कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु यथेष्ठ सुझाव दिये गये हैं, आशा है सुझावों की क्रियान्विती से कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

तिथि– जनवरी,2008
स्थान– जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपनी छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करने और स्वयं की समस्याओं को सुलझाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर स्वरोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है।

कार्यक्रम की उपयोगिता का आकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तुत अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, दौसा एवं जैसलमेर जिलों का चयन कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति समीक्षा के साथ–साथ 202 लाभार्थी, 89 अलाभप्राप्तकर्त्ता, 58 सरकारी/गैर–सरकारी तथा 25 बैकों का चयन कर उनके विचारों का समावेश इस प्रतिवेदन में किया गया है।

अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजना के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों, बैंक अधिकारियों, समूह की सदस्य महिलाओं से विचार–विमर्श व अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाएं पर्दे व घर से निकल कर समूह की मीटिंग में भाग लेना, समूह के सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखना; आपसी लेन–देन, ब्याज दर, पास–बुक, बैंक आदि की जानकारी रखना; आवश्यकता के समय एक–दूसरे की मदद करना एवं छोटी बचत की महत्ता समझने के साथ–साथ बैंक ऋण से जुड़कर आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रेरित हुई हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि योजना क्रियान्विति करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व समूह के सदस्यों को योजना के क्रियान्वयन का गहन प्रशिक्षण दिया जाये एवं विभाग के मोनीटेरिंग सिस्टम में सुधार लाया जाये। कार्यक्रम को अधिक लाभकारी व प्रभावी बनाने हेतु प्रतिवेदन में यथास्थान प्रासंगिक व व्यवहारिक सुझाव दिये गये हैं, आशा करती हूँ प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक : फरवरी, 2008
स्थान : जयपुर।

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "स्वयं सहायता समूह" का मूल्यांकन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना :

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, महत्व एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वर्ष 97–98 से 'महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम' संचालित किया जा रहा है यह योजना शत–प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना है तथा राज्य के सभी 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के तहत एक सी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें महिलाएँ अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने और स्वयं की समस्याओं को सुलझानें के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। कार्यक्रम का उद्धेश्य महिलाओं में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा उनमें विद्यमान कौशल की क्षमताओं का विकास करना है। संक्षेप में स्वयं सहायता समूह का उद्धेश्य महिलाओं को बचत तथा ऋण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है।

II योजना का क्रियान्वयन :

स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्य महिलाएँ होती हैं जो अपनी नियमित बचत से एक कॉर्पस फण्ड विकसित करती है और इस कॉर्पस फण्ड की राशि का उपयोग वे समूह के सदस्यों के मध्य ऋण के रूप में वितरित करती हैं। 6 माह तक सफलतापूर्वक संचालन करने पर स्वयं सहायता समूह के कॉर्पस फण्ड की राशि के बराबर बैंक द्वारा रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है। 1 वर्ष तक स्वयं सहायता समूह के सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् समूह को बैंक के माध्यम से आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

III अध्ययन की आवश्यकता :

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की प्रगति, बैक ऋण/आर्थिक सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों एवं उनसे हुई आय वृद्धि तथा ऋण वसूली ज्ञात करने के उद्धेश्य से स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन करने के निर्देश सचिव, आयोजना द्वारा प्रदान किये गये।

IV अध्ययन के उद्धेश्य :

अध्ययन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों की प्रगति की समीक्षा करना,
(iii) स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में बैंक की भूमिका, ऋण की पर्याप्तता एवं वसूली ज्ञात करना,
(iv) बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि का उपयोग एवं समूहों की आय में वृद्धि का आकलन,
(v) कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदत्त संसाधन इकाईयों का भौतिक सत्यापन, एवं
(vi) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

V अध्ययन न्यादर्श :

यह कार्यक्रम राज्य में सभी 32 जिलों में समान रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः सभी 32 जिलों को समग्र (यूनिवर्स) मानते हुए सरकुलर सिस्टेमेटिक रेन्डम सैम्पलिंग के आधार पर न्यादर्श का चयन किया गया है। न्यादर्श का चयन आर्थिक गतिविधि प्राप्त करने वाले (बैंक ऋण) समूहों की संख्या को आधार मानकर किया गया है ताकि समूह के गठन के प्रारम्भ से लेकर ऋण वसूली तक की सूचना के आधार पर अध्ययन के निष्कर्ष निकाले जा सकें।

प्रस्तुत अध्ययन 6 जिलों (जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, दौसा एवं जैसलमेर) की 12 पंचायत समितियों की 24 ग्राम पंचायतों से चयनित 202 लाभार्थियों (ऋण प्राप्त करने वाले) व 89 अलाभार्थियों (ऋण प्राप्त नहीं करने वाले) के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण प्रदान करने वाले चयनित 25 बैंकों से प्रलेख सूचना एकत्रित करने के साथ–साथ 58 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श कर उनके विचार भी प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

VI सन्दर्भ अवधि :

रिकार्ड डेटा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तथा परिसम्पत्तियों की भौतिक स्थिति व अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचार सर्वे दिनांक से संबंधित हैं। कार्यक्रम का क्षेत्रीय कार्य माह जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006 तक सम्पन्न किया गया।

VII राज्य स्तरीय प्रगति समीक्षा :

(i) स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ :

स्वयं सहायता समूह की गत तीन वर्षों के लक्ष्य, वर्ष के दौरान बनाए गए समूह एवं कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 के अन्त तक कुल 109065 समूहों की सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(संख्या)

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	वर्ष के दौरान निर्मित समूह की उपलब्धियों का प्रतिशत	कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक निर्मित समूह
1	2	3	4	5	6
1	2003–04	107130	34665	32.36	61240
2	2004–05	37361	27462	73.50	88708
3	2005–06	29100	20363	69.97	109065
	योग :	**173591**	**82490**	**47.52**	**लागू नहीं**

(ii) स्वयं सहायता समूह की राज्य स्तरीय प्रगति–एक नजर में :

	कार्यक्रम के प्रारम्भ (1997–98) से वर्ष 2005–06 तक	कुल	कुल निर्मित समूहों से प्रतिशत
i.	योजना के प्रारम्भ से अब तक बनाये गये समूह	109065	–
ii.	समूहों की संख्या जिसके द्वारा बैंक खाते खोले गये	83485	76.55
iii.	समूहों की संख्या जिनके द्वारा आपस में लेनदेन किया जा रहा है	63307	58.05
iv.	समूहों की संख्या जिन्हें बैंक द्वारा लोन दिया गया	55587	50.97
v.	6 माह से कम पुराने समूहों की संख्या	9357	8.58
	6 से 12 माह पुराने समूहों की संख्या	20824	19.09
	1 से 2 वर्ष पुराने समूहों की संख्या	29931	27.44
	2 वर्ष से अधिक पुराने समूहों की संख्या	48953	44.89
vi.	प्रशिक्षित समूहों की संख्या	50961	46.72
vii.	आय सृजन में संलग्न समूहों की संख्या	7802	7.15

उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 तक लगभग 1 लाख स्वयं सहायता समूह निर्मित किये गये इन समूहों में से 76.55 प्रतिशत समूहों द्वारा बैंक में खाते खुलवाये गये लेकिन आपस में लेनदेन केवल 58.05 प्रतिशत समूहों द्वारा ही किया जा रहा है। अब तक गठित स्वयं सहायता समूहों में से 50.97 प्रतिशत समूहों द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है। आय में संलग्न समूहों की संख्या 7802 अथवा कुल गठित समूहों की मात्र 7.15 प्रतिशत है। समूह के आय सृजन कार्य नही करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः विभाग को इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

VIII **सर्वेक्षण परिणाम** :

(i) **स्वयं सहायता समूह का गठन :**

अध्ययन हेतु 6 जिलों से चयनित कुल 291 स्वयं सहायता समूहों में से 202 स्वयं सहायता समूह लाभार्थी ग्रुप के तथा शेष 89 समूह अलाभप्राप्तकर्ता श्रेणी के थे। दूसरे शब्दों में 202 समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त हो गया था तथा शेष 89 समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हुआ। सुविधा की दृष्टि से इन समूहों को लाभप्राप्तकर्ता समूह एवं अलाभप्राप्तकर्ता समूह सम्बोधित किया गया है।

लाभप्राप्तकर्ता समूह में सर्वाधिक 75 समूह वर्ष 2004 में 36 समूह वर्ष 2005 में, 29 समूह 2001 में व 25 समूह 2002 में गठित हुए थे जबकि अलाभप्राप्तकर्ता समूह में 89 में से 50 समूहों का गठन 2005 के बाद ही हुआ था। अतः हो सकता है इनमें से कुछ समूह बैंक ऋण के लिए पात्र ही नहीं थे लेकिन शेष 39 समूहों को बने हुए एक वर्ष से भी अधिक का समय हो गया था।

(ii) **स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या :**

चयनित 291 स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की कुल संख्या 3270 थी। प्रति समूह औसत संख्या 11 पायी गयी। लाभप्राप्तकर्ताओं एवं अलाभप्राप्तकर्ताओं का श्रेणीवार विवरण यह दर्शाता है कि कुल 3270 सदस्यों में 395 (12.08 प्रतिशत) सदस्य अनुसूचित जाति के 863 (26.39 प्रतिशत) सदस्य जनजाति के एवं 2012(61.53 प्रतिशत) सदस्य अन्य जाति के थे। कुल सदस्यों में 1114 (34.06 प्रतिशत) सदस्य बी.पी.एल. थे।

(iii) **स्वयं सहायता समूहों की प्रतिमाह स्वयं की बचत राशि :**

कुल 291 समूहों में से आधे से अधिक समूहों द्वारा प्रतिमाह 60 रूपये से भी कम राशि की बचत की जा रही थी ।

(iv) **सर्वे दिनांक को समूह का कॉपर्स फण्ड :**

स्वयं सहायता समूहों की आय (स्वयं की बचत राशि, ब्याज राशि व सदस्यता राशि) को कॉर्पस फण्ड कहा जाता है। चयनित लाभप्राप्तकर्ता स्वयं सहायता समूहों की सर्वे दिनांक को कॉर्पस फण्ड की राशि 24.38 लाख तथा अलाभप्राप्तकर्ताओं की कॉर्पस फण्ड की राशि 5.68 लाख रूपये थी। प्रति समूह यह राशि लाभ प्राप्तकर्ता तथा अलाभप्राप्तकर्ता के लिए क्रमशः 12069.35 व 6384.16 रूपये आती है। लाभ प्राप्तकर्ता एवं अलाभप्राप्तकर्ता दोनों का प्रति समूह औसत कार्पस फण्ड 10,330 रूपये था। यह राशि उदयपुर जिले में सर्वाधिक रूपये 18822 व दौसा जिले में न्यूनतम रूपये 4567 पायी गयी।

(v) **समूह की बचत के वितरण हेतु बनाए गये नियम :**

स्वयं सहायता समूह योजना के तहत सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारम्भ में अपनी श्रद्धानुसार छोटी बचत राशि एकत्रित कर उस राशि का समूह के सदस्यों में, समूह द्वारा बनाए गये नियमानुसार लेनदेन करेंगे।

चयनित 291 समूहों में से 138 (47.42 प्रतिशत) समूहों द्वारा स्वयं की बचत से लेनदेन किया ही नहीं गया जो योजना के प्रावधान के प्रतिकूल है। शेष समूहों में से 116(39.87 प्रतिशत) समूहों द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज दर, 7(2.40 प्रतिशत) समूहों द्वारा 1 प्रतिशत ब्याज दर व दस किश्तों में वसूली, 11(3.78 प्रतिशत) समूहों द्वारा बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेकिन छः माह में वसूली व शेष 19(6.53 प्रतिशत) समूहों द्वारा एक रूपया सैंकड़ा ब्याज लेकिन छः माह में न चुकाने पर 5 रूपया प्रति सैंकड़ा की दर से ब्याज लिया जा रहा था।

(vi) **समूह की स्वयं की बचत से लेनदेन (लाभ प्राप्तकर्ता)** :

चयनित छः जिलों के 202 लाभप्राप्तकर्ता स्वयं सहायता समूहों के कुल 2329 अर्थात प्रति समूह 11.5 सदस्य थे। क्षेत्रीय कार्य के दौरान सदस्यों से बातचीत करने पर पाया गया कि कुल 2329 सदस्यों में से 1308 अर्थात 56.16 प्रतिशत सदस्यों द्वारा समूह की आपसी बचत से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिले में शत प्रतिशत चयनित सदस्यों द्वारा स्वयं की बचत से कभी भी आपसी लेनदेन नहीं किया गया। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर के विपरीत उदयपुर जिले के परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक हैं क्योंकि कुल चयनित 451 सदस्यों में से मात्र 3 सदस्यों द्वारा ही समूह से ऋण नहीं लिया गया है लेकिन डूंगरपुर, दौसा एवं जोधपुर जिले में भी क्रमशः 27.3, 75.2 एवं 58.7 प्रतिशत सदस्यों द्वारा समूह की बचत से कभी भी ऋण नहीं लिया गया।

(vii) **समूहों द्वारा रजिस्टर का संधारण** :

स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के रजिस्टर/पंजिका यथा मीटिंग रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, ऋण पंजिका, कैशबुक, बैंक पासबुक आदि भलीभांति संधारित की जाने की अपेक्षा की जाती है। चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों में से 170 समूहों द्वारा मीटिंग रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर को नियमित रूप से संधारित किया जा रहा था शेष अभिलेखों का या तो संधारण किया ही नहीं जा रहा अथवा उन्हें आदिनांक नहीं किया जा रहा। सर्वे परिणामों के आधार पर उदयपुर एवं हनुमानगढ़ जिलों के अतिरिक्त किसी भी चयनित जिले में शत प्रतिशत चयनित समूहों द्वारा अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है। सभी चयनित समूहों के पास रजिस्टर खोले हुए थे लेकिन उनका संधारण पूर्ण नहीं था अथवा सही नहीं पाया गया। अतः रिकॉर्ड संधारण के लिए समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। चयनित 89 अलाभप्राप्तकर्ता समूहों में अधिकांश समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के लेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। 53 अलाभप्राप्तकर्ता समूहों द्वारा केवल एक रजिस्टर संधारित किया जा रहा था। जिसमें मीटिंग, लेनदेन की राशि आदि सभी का विवरण था।

(viii) **बैंक से प्राप्त ऋण एवं गतिविधि के संबंध में** :

चयनित 202 समूहों में से सर्वाधिक 138 समूहों ने यूको बैंक एवं अन्य स्थानीय बैंकों से, 34 समूहों ने एसबीबीजे बैंक से, 13 समूहों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से, 6 ने राजस्थान बैंक से व शेष 5 ने कॉपरेटिव बैंक से ऋण प्राप्त किया था, जबकि शेष 6 समूहों द्वारा बैंक का नाम ही नहीं बताया गया। डूंगरपुर जिले को छोड़ सभी जिलों में यूको बैंक ने सर्वाधिक समूहों को ऋण प्रदान किया है।

चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों में से सर्वाधिक 66 समूहों द्वारा छोटे उद्योग धन्धे यथा झाड़ू बनाना, मनिहारी का सामान, अचार, पापड़ उद्योग, सिलाई मशीन आदि के लिए, 52 समूहों द्वारा पशुपालन के लिए, 35 समूहों द्वारा कृषि कार्यों हेतु, 6 समूहों द्वारा दुकान हेतु व 16 समूहों द्वारा घरेलू कार्य हेतु ऋण के लिए आवेदन किया गया। 45 समूह ने ऋण लेकर आपस में ही आवश्यकतानुसार वितरित कर लिया था। शेष 8 समूहों को यह ज्ञात नहीं था कि आवेदन किस गतिविधि हेतु किया गया।

(ix) **बैंक से प्राप्त ऋण राशि** :

चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा 6094600 रूपये के ऋण हेतु आवेदन किया गया जिसकी प्रति समूह औसत ऋण राशि 30171 रूपये थी। इसके विपरीत चयनित समूहों को 28787 रूपये औसत ऋण राशि स्वीकृत की गयी। यह राशि हनुमानगढ़ में न्यूनतम व उदयपुर में अधिकतम पायी गयी। डूंगरपुर, दौसा एवं जैसलमेर जिलों में आवेदित ऋण राशि व प्राप्त ऋण राशि में कोई अन्तर नहीं पाया गया जबकि शेष जिलों में प्राप्त राशि आवेदित राशि से कम पायी गयी।

(x) **ऋण की वसूली** :

चयनित 202 समूहों में से 186 समूहों की ऋण वसूली प्रारम्भ हो चुकी थी, 6 समूहों की ऋण वसूली प्रारम्भ नहीं हुई थी व शेष 10 समूहों द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। चयनित 202 समूहों द्वारा कुल 3532 किश्तों में भुगतान किया जाना था। जिसमें से 1824 किश्तें चुकायी जा चुकी थी। अधिकांश समूहों द्वारा प्रतिमाह प्रति सदस्य 200 से 1000 रूपये के मध्य ऋण राशि चुकायी जा रही थी।

IX **स्वयं सहायता समूह का वास्तविक स्वरूप** :

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर समान रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मूल्यांकन हेतु चयनित छः जिलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन अलग–अलग देखने को मिला। क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर स्वयं सहायता समूह के क्रियान्वयन को मोटे तौर पर निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

X **लक्ष्य पूर्ति हेतु बनाए गये स्वयं सहायता समूह** :

प्रत्येक जिले में कुछ समूह केवल आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाये गये हैं। इस प्रकार के समूह शीघ्र ही टूट जाते हैं। प्रोत्साहन की कमी, सदस्यों में आपसी मनमुटाव, आर्थिक तंगी, रूचि व जागरूकता का अभाव, कार्यकर्ताओं के पास समय का अभाव, निरीक्षण की कमी आदि कारण इस प्रकार के समूह टूटने का प्रमुख आधार है। इस प्रकार के समूह हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए गये।

XI **बचत को प्रोत्साहन देने वाले स्वयं सहायता समूह** :

इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपनी स्वयं की बचत राशि (कॉर्पस फण्ड) का उपयोग आपसी लेनदेन में नहीं किया जाकर राशि प्रतिमाह बैंक में जमा करायी जाती है और जमा पूंजी के आधार पर बैंकों द्वारा स्वयं की बचत का दुगना अथवा तीन गुना बैंक द्वारा समूह को लोन के रूप में वितरित किया जाता है। इस प्रकार समूह की बचत राशि बैंक में होने से बैंकों की रिस्क कम हो जाती है। दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह को अपनी स्वयं की बचत पर बैंक से कम ब्याज मिलता है और बैंक से लिये गये ऋण पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। चयनित जिलों में योजना का यही स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिलों के चयनित 202 समूहों में से एक भी समूह द्वारा आपसी लेनदेन नहीं किया गया। दौसा एवं जोधपुर जिले में भी इस प्रकार के समूहों का प्रतिशत क्रमशः 75.28 एवं 58.72 था। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह बचत की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे हैं। ऐसे समूहों के आँकड़े देखने से ज्ञात होता है कि समूह बनाए गये हैं उनका बैंक में खाता खुला है, राशि जमा है, लोन लिया गया है और नियमित रूप से चुकाया भी जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश समूहों द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि नहीं की जा रही है।

XII **व्यक्तिगत रूप से आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूह** :

इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों द्वारा सर्वप्रथम अपनी बचत से लेनदेन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण राशि लेकर आर्थिक गतिविधि में उपयोग की जाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनी अलग–अलग गतिविधियाँ की जा रही है। उनके द्वारा ऋण राशि का उपयोग भी आवश्यकतानुसार आपस में बांटकर किया जा रहा है व राशि का भुगतान भी व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार के समूह यद्यपि सभी जिलों में पाए गये लेकिन उनकी संख्या बहुत कम/नगण्य कही जा सकती है।

XIII **अवलोकन आधारित स्वयं सहायता समूहों की प्रमुख विशेषताएँ** :

(i) स्वयं सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियाँ एक समूह के रूप में संचालित न की जाकर व्यक्तिगत आधार पर संचालित की जा रही हैं।

(ii) अधिकांश स्वयं सहायता समूहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही समूह के गठन से लेकर बैंक ऋण दिलाने और तत्पश्चात् ऋण वसूली तक का कार्य करती हैं।

(iii) अधिकांश स्वयं सहायता समूहों द्वारा डेयरी, पशुपालन, दुकान, आटे की चक्की, नगीने का कार्य आदि किये जा रहे हैं।

(iv) बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह की कुल बचत राशि का 4 गुना तक ऋण प्रदान किया जाता है।

(v) अधिकांश स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है और स्वयं सहायता समूह बैंक के डिफॉल्टर नहीं हैं। यह तथ्य भी उभरकर आया कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य ऋण न लेकर केवल वे ही सदस्य ऋण लेते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है।

(vi) विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया चल रही है। एक महिला एक ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। एक ही गांव में विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाने से उनमे चल रहे स्वयं सहायता समूह के टूटने/बन्द होने की नौबत आ गई है क्योंकि विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा अलग–अलग प्रकार के प्रलोभन दिये जाकर समूह के सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया जाता है।

XIV कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

(i) सूचनाओं का अभाव एवं विसंगतियाँ :

किसी भी कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस योजना/कार्यक्रम से संबंधित सभी मुख्य सूचनाएँ राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध हो और आँकड़ों में विसंगतियाँ नहीं हों। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समूहों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन में सबसे बड़ी बाधा विभाग के प्रत्येक स्तर पर सूचना का अभाव होना था। विभाग में राज्य, जिला एवं पंचायत समितियों द्वारा संकलित की जाने वाली सूचना में एकरूपता का अभाव पाया गया तथा प्राप्त सूचनाओं में विसंगतियाँ किसी भी परिणाम तक पहुँचने में बाधक रही है। अतः यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि विभाग के मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार किया जावे। आँकड़ों में एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत समिति स्तर से राज्य स्तर तक एक ही फॉर्मेट में सूचना एकत्रित की जावे तथा उसका भलीभांति सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् ही संकलन व सारणीयन किया जावे। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी समूह का टूटना, बिखरना व पुनः नवीन समूह का गठन है। अतः विभाग द्वारा इस प्रकार का मॉनिटरिंग फॉर्मेट तैयार किया जाना चाहिए कि वर्ष के अन्त में टूटने या बिखरने वाले समूहों की सूचना भी एकत्रित की जावे। सूचनाओं के अभाव में कार्यक्रम का विश्लेषण कर किसी भी परिणाम तक पहुँचना सम्भव नहीं है।

(ii) समूह गठन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण :

विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह के गठन के वार्षिक लक्ष्य दिये जाते हैं। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा येनकेनप्रकारेण समूह का गठन किया जाता है, जिसमें कार्यक्रम में रूचि न लेने वाली महिलाएँ भी सदस्य होती हैं। इन महिलाओं द्वारा नियमित रूप से बचत राशि जमा कराने के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि में भाग नहीं लिया जाता है। अतः सिफारिश की जाती है कि लक्ष्यों का निर्धारण व्यावहारिक हो तथा केवल उन्हीं महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बनाया जाय जो आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने में रूचि रखती हों।

(iii) प्रशिक्षण का अभाव :

विभाग में कार्यरत अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं एवं समूह के सदस्यों को योजना की अवधारणा, उपादेयता एवं उद्धेश्यों के संबंध में उचित एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के फलस्वरूप योजना पूर्ण रूपेण अपने उद्धेश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है। प्रशिक्षण की कमी तथा समूह के सदस्यों के अशिक्षित होने से महिला समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु रिकॉर्ड भी भलीभांति नहीं रखा जा रहा है। राज्य स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समूह के सदस्यों को उनकी भूमिका के अनुसार पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करे। साथ ही कार्यक्रम के दिशा–निर्देश को सरल भाषा में लिखकर ग्राम पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को वितरित करें।

(iv) **बैंकों की कार्यप्रणाली** :

सामान्यतया बैंकों द्वारा समूह की बचत/कॉर्पस फण्ड का 2 से 5 गुना तक बैंक ऋण दिया गया है। जिन समूहों के कार्यकर्ताओं की साख अच्छी है उन्हें ही ऋण आवेदन–पत्र दिये जाते हैं। चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं के अनुसार बैंक ऋण में कागजी कार्यवाही अधिक है तथा बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण देने में काफी औपचारिकताएँ निभाई जाती हैं। समूह के अशिक्षित सदस्यों को देखते हुए बैंक की ऋण देने की कार्यप्रणाली में सरलीकरण प्रस्तावित है।

(v) **परिसम्पत्ति/अतिरिक्त आय का सृजन नहीं** :

अधिकांश स्वयं सहायता समूह की सामूहिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। केवल कुछ सदस्यों द्वारा ऋण राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधि/स्वयं के उद्योग, व्यापार में किया गया है। अतः सिफारिश की जाती है कि समूह के गठन के समय ही उसके उद्धेश्यों एवं प्रारम्भ की जाने वाली गतिविधि का निर्धारण किया जाए। समूह के सदस्यों को चयनित गतिविधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि समूह द्वारा एक ही व्यवसाय प्रारम्भ किया जाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके।

(vi) **रिक्त पद** :

कई स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। अतः रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

(vii) **बैंक को लाभ तथा सदस्य को हानि** :

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो यह तथ्य उभरकर आता है कि स्वयं सहायता समूह के संचालन से बैंक को आर्थिक लाभ हुआ है तथा समूह के सदस्य को हानि हुई है। समूह के सदस्यों की समस्त बचत राशि को आपसी लेनदेन में प्रयोग किया जाना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से अधिकांश समूहों के सदस्यों की बचत राशि को तुरन्त ही बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जिस पर सदस्यों को बचत पर न्यूनतम ब्याज मिलता है। सम्पूर्ण समूह की बचत राशि को जमानत के रूप में रखकर समूह की मांग के आधार पर बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। जिस पर समूह की बचत राशि पर दिये जाने वाले ब्याज से अधिक राशि वसूल की जाती है। दूसरे शब्दों में समूह की स्वयं की बचत राशि पर कम ब्याज प्राप्त होता है तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर अधिक ब्याज लिया जाता है। अतः पुरजोर सिफारिश की जाती है कि कार्यक्रम के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाय कि वे समूह की बचत राशि को किसी भी अवस्था में बैंक में जमा न करवाये तथा उसका आपस में ही लेनदेन करे ताकि समूह के सदस्यों को फायदा हो सके।

(viii) **स्वयं सहायता समूह–परोक्ष लाभ :**

यह कार्यक्रम कई अप्रत्यक्ष लाभ (Unintended Benefits) प्राप्त करने में भरसक सफल रहा है। इस कार्यक्रम से आर्थिक क्रान्ति के स्थान पर सामाजिक क्रान्ति आयी है एव निश्चित रूप से महिलाओं में निम्न विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुई हैं :–

i. पर्दे व घर से निकलकर समूह की मीटिंग में भाग लेना।
ii. अन्य सदस्यों के सम्मुख अपनी बात कहना।
iii. ऋण, लेनदेन, ब्याज, पासबुक, बैंक आदि की जानकारी।
iv. आवश्यकता के समय एक दूसरे की आर्थिक मदद करना।
v. अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार की चाहत।
vi. छोटी बचत की महत्ता समझना।
vii. मकान, पशु, जमीन व अन्य स्थायी सम्पत्ति अथवा घर के अन्य निर्णयों में स्वयं अपनी राय रखना।

XV **निष्कर्ष** :

यद्यपि योजना अपने प्रस्तावित अन्तिम उद्धेश्य (सामूहिक आर्थिक गतिविधि) को प्राप्त करने में सफल नहीं रही है। लेकिन समूह की सदस्य महिलाओं में संगठित होने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के साथ–साथ समूह के कार्पस फण्ड से अपनी छोटी मोटी आवश्यकता की पूर्ति करने व बचत करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। वे घर से निकलकर बैंक तक पहुँची है बचत करना सीख गयी है, पहले से अधिक जागरूक हुई है। छोटी मोटी घरेलू आवश्यकताओं हेतु पड़ौसी, रिश्तेदार या साहूकारों के यहाँ नहीं जाना पड़ता। जिन महिलाओं ने लोन लेकर आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ की है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आसानी से देखा जा सकता है। बढ़ी हुई आमदनी का उपयोग इन महिलाओं द्वारा रोजगार के अधिक संसाधन जुटाने, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, पति अथवा स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाने, जेवर खरीदने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि योजना क्रियान्विति करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों व समूह के सदस्यों को योजना के क्रियान्वयन का गहन प्रशिक्षण दिया जाये, सरल भाषा में योजना के उद्धेश्यों व विशेषताओं के पेम्पलेट बनाकर ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए जाएं नियमित निरीक्षण किया जाय, ऋण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाय, समूह के सदस्यों को एक ही आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाय, कॉर्पस फण्ड की राशि को बैंक में जमा न करवाकर समूह द्वारा ही आपसी लेनदेन में काम में लिया जाय, विभाग के रिक्त पदों को भरा जावे तथा नियमित बैठकें आयोजित कर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में सुधार लाया जावे ताकि समय–समय पर कार्यक्रम का सही मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया जा सके।

————————

अध्याय प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1 प्रस्तावना :

1.1.1 स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, महत्व एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वर्ष 97–98 से 'महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम' संचालित किया जा रहा है जिसका प्रमुख उद्धेश्य महिलाओं के समूह बनाकर बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करना है।

1.2 योजना का उद्धेश्य :

1.2.1 स्वयं सहायता समूह के तहत एक सी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें महिलाएँ अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने और स्वयं की समस्याओं को सुलझानें के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। एक अकेली महिला के पास अपने स्वयं के साधन इतने पर्याप्त नहीं होते कि वह अपनी आवश्यकता पूर्ति एवं समस्या का समाधान अकेली कर सके लेकिन कई महिलाओं द्वारा मिलकर अपने–अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से तथा पूर्ण क्षमता से प्रयास करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का उद्धेश्य महिलाओं में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा उनमें विद्यमान कौशल की क्षमताओं का विकास करना है। संक्षेप में स्वयं सहायता समूह का उद्धेश्य महिलाओं को बचत तथा ऋण की गतिविधियों से जोड़कर स्वरोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है।

1.3 योजना का क्रियान्वयन :

1.3.1 स्वयं सहायता समूह योजना राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 97–98 से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना है तथा राज्य के सभी 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है।

1.3.2 समूहों का गठन :

कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम समूहों के गठन की कार्यवाही की जाती है। इस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम के प्रबुद्व तथा सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों की सहायता से समूह बनाने की इच्छुक महिलाओं से सम्पर्क कर उन्हें सामाजिक कार्यों के

लाभों से अवगत कराते हुए समूह बनाने की प्रेरणा देते हैं। न्यूनतम 10 व्यक्तियों को समूह बनाने हेतु तैयार करने के पश्चात् सभी महिलाओं की एक बैठक आयोजित की जाकर विधिवत स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखा जाकर समूह के सदस्यों की आपसी सहमति से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जाकर समूह का नाम निर्धारित किया जाकर बैठक की कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाता है। इसी बैठक में समूह के सदस्यों द्वारा प्रति माह जमा कराई जाने वाली न्यूनतम हिस्सा राशि/बचत का भी निर्णय लिया जाता है। समूह के निर्णयानुसार न्यूनतम सदस्यता शुल्क राशि भी निर्धारित की जाती है। अधिकांश समूहों में सदस्यता शुल्क 10 से 50 रूपये तक तथा प्रति माह बचत 10 रूपये से 200 रूपये तक पाई गई।

1.3.3 **समूह का संचालन** :

समूह के सफल संचालन हेतु प्रत्येक समूह द्वारा प्रति माह मासिक बैठक आयोजित की जानी चाहिए एवं इस बैठक में प्रत्येक सदस्य को नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। इसी बैठक में सदस्यों द्वारा बचत राशि एकत्रित की जाती है तथा संगृहित राशि को सदस्यों की मांग करने पर उन्हें ऋण के रूप में दिया जाता है। ऋण की राशि समूह के पास उपलब्ध बचत राशि/कॉर्पस फण्ड तथा मांग करने वाली महिलाओं की संख्या व राशि में सामंजस्य कर दी जाती है।

1.3.4 **कॉर्पस फण्ड के ऋण की वसूली** :

समूह द्वारा बनाये गये नियम एवं शर्तों के आधार पर कॉर्पस फण्ड से लिये गये ऋण की वसूली अगली मासिक बैठक से ही प्रारम्भ कर दी जाती है तथा ऋण न चुकाये जाने वाले सदस्यों से पैनेल्टी भी ली जाती है। समूह द्वारा कॉर्पस फण्ड की राशि पर अधिकतम 1 से 2 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण हेतु किसी प्रकार का फॉर्म नहीं होता, बैठक के कार्यवाही विवरण में ही मांग करने वाले तथा ऋण राशि प्राप्त करने वाले का विवरण दर्ज कर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं।

1.3.5 **समूह के आर्थिक स्त्रोत** :

समूह के पास निम्न आर्थिक स्त्रोत होते हैं :–

(i) **कॉर्पस फण्ड** : इस फण्ड में समूह के सदस्यों की सदस्यता शुल्क, मासिक बचत तथा आपसी लेनदेन में दिये गये ऋण के ब्याज की राशि सम्मिलित है।

(ii) **रिवॉल्विंग फण्ड** : यदि समूह का संचालन 6 माह तक सफलतापूर्वक किया जाता है तो समूह की प्रथम ग्रेडिंग कराई जाती है तथा प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने पर समूह का आवेदन पत्र तैयार किया जाकर रिवॉल्विंग फण्ड हेतु बैंक को

भिजवाया जाता है। बैंक द्वारा सन्तुष्ट होने पर समूह को कॉर्पस फण्ड की राशि के बराबर रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि न्यूनतम 5000/– रूपये से अधिकतम 20000/– रूपये के मध्य होती है। रिवॉल्विंग फण्ड से प्राप्त राशि का उपयोग सदस्यों द्वारा आपसी लेनदेन में किया जाता है तथा इससे अर्जित ब्याज समूह की आय होती है। रिवॉल्विंग फण्ड की राशि, समूह के पास सन्तोषप्रद मात्रा में कॉर्पस फण्ड हो जाने के पश्चात् बैंक को पुनः लौटायी जाती है। संक्षेप में कॉर्पस फण्ड बैंक द्वारा समूह को दिया गया बिना ब्याज का ऋण है।

(iii) **ऋण** : प्रथम ग्रेडिंग में सफल समूह को बैंक द्वारा सदस्यों की मांग पर बचत राशि का अधिकतम 4 गुना तक ऋण दिया जाता है। जिस पर सामान्यतया बैंक द्वारा 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा 10 समान मासिक किश्तों में वसूली की जाती है।

1.3.6 **आर्थिक गतिविधि हेतु ऋण** : समूह की प्रथम ग्रेडिंग के पश्चात् 6 माह तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् समूह की सैकिण्ड ग्रेडिंग होती है। इस ग्रेडिंग में समूह के सदस्य आपसी सहमति से अपनी रूचि के अनुसार आर्थिक गतिविधि को चुनते हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार समूह की एक ही गतिविधि होनी चाहिए। गतिविधि के चयन तथा सैकिण्ड ग्रेडिंग में सफलता प्राप्त समूह के आवेदन–पत्र तैयार करवाये जाकर समूह की गतिविधि की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाकर ऋण राशि का निर्धारण किया जाता है।

1.3.7 **समूह द्वारा संधारित रिकॉर्ड** : समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा निम्न रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा :–

(i) समूह सदस्यों का विवरण

(ii) समूह की बैठकों का कार्यवाही विवरण व उपस्थिति पंजिका

(iii) सदस्यों की हिस्सा राशि, ऋण वसूली व ब्याज का सदस्यवार विवरण (Cash Book)

(iv) समूह का मासिक आय–व्यय विवरण

(v) समूह के ऋण वितरण का विवरण

(vi) समूह का बचत खाता, समूह का ऋण खाता।

1.3.8 **महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान :** इस कार्यक्रम की महत्ता–उपादेयता एवं लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में राज्य स्तर पर 'महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान' की स्थापना की गई है, जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के साथ–साथ समूह के प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन संबंधी नवीन तकनीक , उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है तथा समूहों को बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है।

1.3.9 संक्षेप में स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्य महिलाएँ होती हैं जो अपनी नियमित बचत से एक कॉर्पस फण्ड विकसित करती है और इस कॉर्पस फण्ड की राशि का उपयोग वे समूह के सदस्यों के मध्य ऋण के रूप में वितरित करती हैं। 6 माह तक सफलतापूर्वक संचालन करने पर स्वयं सहायता समूह के कॉर्पस फण्ड की राशि के बराबर बैंक द्वारा रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है। 1 वर्ष तक स्वयं सहायता समूह के सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् समूह को बैंक के माध्यम से आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

1.4 अध्ययन की आवश्यकता :

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की प्रगति, बैक ऋण/आर्थिक सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों एवं उनसे हुई आय वृद्धि तथा ऋण वसूली ज्ञात करने के उद्धेश्य से स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन करने के निर्देश सचिव, आयोजना द्वारा प्रदान किये गये।

1.5 अध्ययन के उद्धेश्य :

अध्ययन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा करना
2. बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों की प्रगति की समीक्षा करना
3. स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में बैंक की भूमिका, ऋण की पर्याप्तता एवं वसूली ज्ञात करना
4. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि का उपयोग एवं समूहों की आय में वृद्धि का आकलन
5. कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदत्त संसाधन इकाईयों का भौतिक सत्यापन
6. योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.6 स्वयं सहायता समूह की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के तहत कुल 109561 समूहों का गठन किया गया। गत तीन वर्षों अर्थात 2003–04 से 2005–06 तक 83375 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसमें से 59398 समूहों को बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में 11185.25 लाख रूपये वितरित किये गये। विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर संदर्भित तीन वर्षों में 12282 समूह आय सृजित करने वाली गतिविधियों में संलग्न है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट I पर दिया गया है।

1.7 अध्ययन न्यादर्श :

यह कार्यक्रम राज्य में सभी 32 जिलों में समान रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः सभी 32 जिलों को समग्र (यूनिवर्स) मानते हुए सरकुलर सिस्टेमेटिक रेन्डम सैम्पलिंग के आधार पर न्यादर्श का चयन किया गया है। न्यादर्श का चयन आर्थिक गतिविधि प्राप्त करने वाले (बैंक ऋण) समूहों की संख्या को आधार मानकर किया गया है ताकि समूह के गठन के प्रारम्भ से लेकर ऋण वसूली तक की सूचना के आधार पर अध्ययन के निष्कर्ष निकाले जा सकें।

1. अध्ययन की समय सीमा एवं संसाधनों की सीमितता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम स्तर पर 32 जिलों में से 20 प्रतिशत अर्थात 6 जिलों का चयन किया गया। जिलों के चयन हेतु सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग से गत तीन वर्षों अर्थात 2003–04 से 2005–06 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त समूहों की सूचना प्राप्त की गयी। तत्पश्चात् वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सुव्यवस्थित वृत्तिय न्यादर्श पद्धत्ति (सरकुलर सिस्टमेटिक रेण्डम सेम्पलिंग टेक्नीक) अपनाते हुए 6 जिलों का चयन किया गया। बैंक ऋण सहायता प्राप्त समूहों की संख्या के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में जमाया गया जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट II पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट के आधार पर सिस्टेमेटिक सर्कुलर रेण्डम सेम्पलिंग से 6 जिलों क्रमशः जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, दौसा एवं जैसलमेर का चयन किया गया।

2. द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से वर्ष 2003–04 से 05–06 तक बैंक ऋण से लाभान्वित अधिकतम समूहों वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। पंचायत समितियों के चयन हेतु चयनित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग से सूचना प्राप्त की गयी। समान प्रगति वाली दो से अधिक पंचायत समितियाँ होने पर साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से चयन किये जाने का प्रावधान रखा गया।

3. तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से अधिकतम लाभान्वित समूहों वाली दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया लेकिन ग्राम पंचायत का चयन करते समय यह ध्यान रखा गया कि जहाँ तक संभव हो, अधिकतम गतिविधियों का चयन हो एवं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

4. चतुर्थ अथवा अन्तिम स्तर पर चयनित ग्राम पंचायतों से प्रत्येक गतिविधि के समूह का चयन कर न्यूनतम 10 ऐसे समूहों का चयन किया गया जिन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ हो एवं 5 ऐसे समूहों का चयन किया गया जिन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाया हो।

1.8 सैम्पल साइज (sample size) :

1.8.1 उपर्युक्त न्यादर्श के आधार पर चयनित जिलों व पंचायत समितियों के नाम निम्न सारिणी में तथा चयनित ग्राम पंचायतों व अनुसूचियों आदि की सूचना परिशिष्ट–III पर उपलब्ध है :–

स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत चयनित जिलों व पंचायत समितियों का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम
1	डूंगरपुर	1. सीमलवाडा
		2. सागवाड़ा
2	दौसा	1. लालसोट
		2. दौसा
3	उदयपुर	1. भीण्डर
		2. झाडोल
4	हनुमानगढ़	1. हनुमानगढ़
		2. नोहर
5	जैसलमेर	1. जैसलमेर
		2. सांकड़ा
6	जोधपुर	1. शेरगढ़
		2. ओसियाँ

1.8.2 परिशिष्ट–III के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन 6 जिलों (डूंगरपुर, दौसा, उदयपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व जोधपुर) की 12 पंचायत समितियों की 24 ग्राम पंचायतों से चयनित 202 लाभार्थियों (ऋण प्राप्त करने वाले) व 89 अलाभार्थियों (ऋण प्राप्त नहीं करने वाले) के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण प्रदान करने वाले चयनित 25 बैंकों से प्रलेख सूचना एकत्रित करने के साथ–साथ 58 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श कर उनके विचार भी प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

1.9 अनुसूचियाँ :

अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियों में सूचनाएँ एकत्रित की गयी :–

(i) प्रलेख अनुसूची :

इस अनुसूची में महिला एवं बाल विकास विभाग से जिलेवार स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय एवं भौतिक सूचनाएँ प्राप्त की गयी।

(ii) जिला/पंचायत समिति अनुसूची :

इस अनुसूची में चयनित जिले एवं चयनित पंचायत समिति की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाएँ एकत्रित की गयी।

(iii) स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी अनुसूची :

इस अनुसूची में चयनित ग्राम पंचायतों के दस समूहों से विचार विमर्श कर समूह के गठन से लेकर उसके ऋण प्राप्त करने व ऋण वसूली तक की सूचना एकत्र की गयी इसके अतिरिक्त 5 ऐसे स्वयं सहायता समूहों से भी अनूसूची भरी गयी जिनका गठन हो चुका लेकिन बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो सका।

(iv) बैंक अनुसूची :

इस अनुसूची में स्वयं सहायता समूह को ऋण देने वाले बैंकों से आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने, स्वीकृति एवं ऋण प्रदान करने तथा ऋण वसूली संबंधी सूचनाएँ एकत्रित की गयी।

(v) अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूची :

यह अनुसूची स्वयं सहायता समूह योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अधिकारियों व गैर अधिकारियों यथा बी.डी.ओ., सी.डी.पी.ओ., ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, पंच/सरपंच, वार्ड मेम्बर एवं अन्य कोई जानकार व्यक्ति से साक्षात् कर भरी गयी।

(vi) **अवलोकन टिप्पण :**

उपर्युक्त अनुसूचियों में सूचना एकत्रित करने के साथ–साथ अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय कार्य करते समय समूहों के संचालन का सूक्ष्म अवलोकन किया जाकर उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पण प्राप्त की गयी। जिसमें स्वयं सहायता समूहों की सफलता, असफलता, कमियाँ, कठिनाईयाँ, बैंक से ऋण प्राप्त करने में लगने वाले समय के अतिरिक्त वे बिन्दु भी समावेशित किये गये जिनकी सूचना अनुसूची में नहीं आ पाई हो। संक्षेप में इस टिप्पण के माध्यम से तथ्यों पर आधारित गुणात्मक सूचना, कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव संकलित किये गये।

1.10 सन्दर्भ अवधि :

कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय एवं भौतिक सूचना लेने का प्रयास किया गया। परिसम्पत्तियों की भौतिक स्थिति अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचार सर्वे दिनांक से संबंधित हैं। कार्यक्रम का क्षेत्रीय कार्य माह जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006 तक सम्पन्न किया गया।

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम राज्य के सभी 32 जिलों में वर्ष 97–98 से संचालित है। प्रस्तुत अध्याय में गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के आधार पर योजना की प्रगति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जिलेवार राज्य स्तरीय आँकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय से प्राप्त किये गये हैं जबकि चयनित जिलों व पंचायत समिति की सूचनाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गयी है।

2.1 राज्य स्तरीय प्रगति समीक्षा :

2.1.1 स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ :

अध्ययन हेतु रूपांकन एवं अनुसूचियाँ बनाते समय महिला एवं बाल विकास द्वारा विभाग को वर्ष 1997–98 से 2005–06 तक 109561 गठित समूहों की सूचना उपलब्ध करायी गयी थी। जिसका विवरण अध्याय प्रथम के बिन्दु संख्या 1.6 में व परिशिष्ट–1 में दिया गया है लेकिन बाद में विभाग द्वारा कुल समूहों की संख्या 109065 (संशोधित सूचना) उपलब्ध कराने पर उसे ही आधार मानकर राज्य स्तरीय प्रगति का विश्लेषण किया गया है।

2.1.2 स्वयं सहायता समूह की गत तीन वर्षों के लक्ष्य, वर्ष के दौरान बनाए गए समूह एवं कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 के अन्त तक कुल 109065 समूहों की सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–1

स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(संख्या)

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	वर्ष के दौरान निर्मित समूह की उपलब्धियों का प्रतिशत	कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक निर्मित समूह
1	2	3	4	5	6
1	2003–04	107130	34665	32.36	61240
2	2004–05	37361	27462	73.50	88708
3	2005–06	29100	20363	69.97	109065
	योग :	**173591**	**82490**	**47.52**	**लागू नहीं**

2.1.3 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 05–06 के अन्त तक कुल एक लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जो एक सन्तोष का विषय है लेकिन सारिणी का गहन अध्ययन यह भी दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2003–04 में जहाँ विभाग द्वारा 1.07 लाख के लक्ष्य रखे गये वर्ष 04–05 में घटाकर केवल 37361 व वर्ष 2005–06 में 29100 ही कर दिये गये अर्थात लक्ष्यों में लगभग एक तिहाई की कमी की गयी।

2.1.4 सारिणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 में यद्यपि लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धियाँ मात्र 32.36 प्रतिशत अर्थात केवल 34665 रही लेकिन बाद के वर्षों में यह घटकर 27462 व 20363 ही रह गयी अर्थात् प्रतिवर्ष स्वयं सहायता समूहों के गठन की संख्या में कमी हुई है।

2.2 स्वयं सहायता समूहों की बचत, बैंक खाते एवं स्वीकृत ऋण राशि :

2.2.1 स्वयं सहायता समूहों की बचत :

2.2.2 गत तीन वर्षों की स्वयं सहायता समूहों की इकजाई बचत निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–2
स्वयं सहायता समूहों की गत तीन वर्षों की इकजाई बचत एवं औसत बचत

क्र. सं.	वर्ष	योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक		
		समूहों की संख्या	समूहों की स्वयं की बचत की राशि (लाख रूपयों में)	प्रति समूहऔसत बचत राशि रूपये में
1	2	3	4	5
1	2003–04	61240	2332.65	3809
2	2004–05	88708	3642.40	4106
3	2005–06	109065	5385.19	4937

2.2.3 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 के अन्त तक कुल 1.09 लाख समूहों द्वारा कुल 5385.19 लाख की स्वयं की बचत की गयी। प्रति समूह बचत की राशि मात्र 4937 रूपये आती है, जो काफी कम कही जा सकती है।

2.3 स्वयं सहायता समूह द्वारा आपस में दी जा रही ऋण राशि

2.3.1 स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपस में दी जाने वाली कुल व औसत ऋण राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–3
योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक समूहों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक				
		समूहों की संख्या	समूह जिनके द्वारा आपस में ऋण दिया जा रहा है	समूहों का प्रतिशत जिनके द्वारा ऋण दिया जा रहा है	ऋण राशि	औसत ऋण राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2003–04	61240	30939	50.52	1637.43	5292
2	2004–05	88708	49454	55.75	2070.96	4187
3	2005–06	109065	63307	58.04	4163.84	6577

2.3.2 उपर्युक्त तालिका से यह विदित होता है कि कुल निर्मित समूहों में से मात्र 58.04 प्रतिशत समूहों द्वारा आपस में ऋण दिया जा रहा है और एक समूह द्वारा औसतन 6577 रूपये की ऋण राशि दी जा रही है। सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि आपस में दिये जाने वाली ऋण राशि व समूह दोनों में ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04 में 50.52 प्रतिशत समूहों द्वारा ऋण दिया जा रहा था जो वर्ष 05–06 में बढ़कर 58.04 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार वर्ष 03–04 की औसत ऋण राशि 5292 रूपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 6577 रूपये हो गयी।

2.4 स्वयं सहायता समूहों का अवधिवार वर्गीकरण :

2.4.1 योजना के प्रारम्भ से गत तीन वर्षों का समूहों की अवधिवार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–4
स्वयं सहायता समूहों का अवधिवार वर्गीकरण

क्र. सं.	वर्ष	कुल समूह	योजना के प्रारम्भ के वर्ष के अन्त तक					
			एक वर्ष से कम अवधि के समूह	प्रतिशत	एक से दो वर्ष अवधि के समूह	प्रतिशत	दो वर्ष से अधिक अवधि के समूह	प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	2003–04	61240	16788	27.41	19912	32.51	24540	40.08
2	2004–05	88708	26820	30.23	27991	31.56	33897	38.21
3	2005–06	109065	30181	27.67	29931	27.44	48953	44.89

2.4.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से विदित होता है कि योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 तक निर्मित 1.09 लाख स्वयं सहायता समूहों में 27.67 प्रतिशत समूह एक वर्ष से भी कम पुराने व 27.44 प्रतिशत समूह एक से दो वर्ष पुराने थे एवं शेष 44.89 प्रतिशत दो वर्ष से अधिक पुराने थे। कार्यक्रम को लागू हुए लगभग 10 वर्ष होने के बावजूद केवल 44.89 प्रतिशत समूहों का ही दो वर्ष से अधिक पुराना होना सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में इसका यह भी आशय निकाला जा सकता है कि नए समूह बनने व पुराने समूह टूटने का कार्यक्रम जारी है अथवा गत तीन वर्षों में ही कार्यक्रम ने गति पकड़ी है।

2.5 प्रशिक्षित एवं आर्थिक गतिविधि में संलग्न समूहों की संख्या :

2.5.1 प्रशिक्षित एवं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूहों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–5
योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक प्रशिक्षित एवं आय सृजन में संलग्न समूहों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक प्रशिक्षित समूहों की संख्या				
		कुल समूह	प्रशिक्षित समूह	प्रतिशत	आय सृजन करने वाले समूह	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	2003–04	61240	10449	17.06	एन.ए.	एन.ए.
2	2004–05	88708	28238	31.83	3132	3.53
3	2005–06	109065	50961	46.72	7802	7.15

2.5.2 उपर्युक्त सारिणी से विदित होता है कि कुल निर्मित समूहों में से मात्र 46.72 प्रतिशत समूह प्रशिक्षित हैं और मात्र 7.15 प्रतिशत समूह ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्धेश्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से समूह के आय सृजन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है लेकिन आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम अपने प्रमुख उद्धेश्य में पूर्ण असफल रहा है। अतः विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने में आई कठिनाईयों का निराकरण कर योजना को सफल एवं सार्थक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

2.6 **स्वयं सहायता समूह की राज्य स्तरीय प्रगति–एक नजर में :**

	कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 तक	कुल	कुल निर्मित समूहों से प्रतिशत
(i)	योजना के प्रारम्भ से अब तक बनाये गये समूह	109065	–
(ii)	समूहों की संख्या जिसके द्वारा बैंक खाते खोले गये	83485	76.55
(iii)	समूहों की संख्या जिनके आपस में लोन दिया जा रहा है	63307	58.05
(iv)	समूहों की संख्या जिन्हें बैंक द्वारा लोन दिया गया	55587	50.97
(v)	6 माह से कम पुराने समूहों की संख्या	9357	8.58
	6 से 12 माह के समूहों की संख्या	20824	19.09
	1 से 2 वर्ष पुराने समूहों की संख्या	29931	27.44
	2 वर्ष से अधिक पुराने समूहों की संख्या	48953	44.89
(vi)	प्रशिक्षित समूहों की संख्या	50961	46.72
(vii)	आय सृजन में संलग्न समूहों की संख्या	7802	7.15

2.6.1 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगभग 1 लाख स्वयं सहायता समूह निर्मित किये गये इन समूहों में से 76 प्रतिशत समूहों द्वारा बैंक में खाते खुलवाये गये लेकिन आपस में लेनदेन केवल 58.05 प्रतिशत समूहों द्वारा ही किया जा रहा है। अब तक गठित स्वयं सहायता समूहों में से मात्र 50 प्रतिशत समूहों द्वारा ही बैंक से ऋण लिया गया है। समूहों का अवधिवार वर्गीकरण यह दर्शाता है कि अब तक गठित समूहों में से मात्र 44.89 प्रतिशत समूह ही दो वर्ष से अधिक पुराने हैं। विभाग द्वारा गत कई वर्षों से समूहों के गठन की प्रक्रिया चलने के उपरान्त यह प्रतिशत सराहनीय नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में यह प्रतिशत यह भी इंगित करता है कि समूह के गठन व टूटने का क्रम जारी है जिससे पुराने समूह ही टूटकर नए समूह में गठित हो रहे हैं।

2.6.2 आय में संलग्न समूहों की संख्या मात्र 7802 अथवा कुल गठित समूहों की मात्र 7.15 प्रतिशत है जो योजना के मुख्य उद्धेश्य को देखते हुए अत्यन्त निराशाजनक हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्य आर्थिक गतिविधियों में आय सृजन में संलग्न होकर ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। समूह के आय सृजन कार्य नही करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः विभाग को इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा यह प्रयास किये जाने चाहिये कि अधिक से अधिक समूहों द्वारा बैंक लोन प्राप्त कर आय सृजन में वृद्धि के प्रयास किए जाएँ तभी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

2.7 चयनित जिलों व पंचायत समितियों की प्रगति :

2.7.1 राज्य स्तर व चयनित जिलों से प्राप्त गठित समूहों की संख्या :

राज्य स्तरीय प्रमुख सूचनाएँ एकत्रित करने के साथ चयनित 6 जिलों व 12 पंचायत समितियों से भी प्रलेख सूचनाएँ एकत्रित की गयी। राज्य स्तर (मुख्यालय) से प्राप्त जिलेवार सूचना तथा चयनित जिलों से प्राप्त सूचना में गत तीन वर्षों के गठित समूहों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–6

चयनित जिलों में वर्षवार गठित समूहों की संख्या

क्र. सं.	जिला	वर्षवार गठित समूहों की संख्या							
		2003–04		2004–05		2005–06		योग	
		राज्य स्तर से प्राप्त	चयनित जिलों से प्राप्त	राज्य स्तर से प्राप्त	चयनित जिलों से प्राप्त	राज्य स्तर से प्राप्त	चयनित जिलों से प्राप्त	राज्य स्तर से प्राप्त	चयनित जिलों से प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डूंगरपुर	493	982	675	592	505	524	1673	2098
2	दौसा	175	618	487	487	573	618	1235	1723
3	उदयपुर	917	1341	1403	1598	594	1920	2914	4859
4	हनुमानगढ़	729	1536	1004	864	616	532	2349	2932
5	जैसलमेर	116	224	419	423	33	342	568	989
6	जोधपुर	887	1380	698	2210	405	2005	1990	5595
	योग	**3317**	**6081**	**4686**	**6174**	**2726**	**5941**	**10729**	**18196**

2.7.2 उपर्युक्त सारिणी में दिए गये आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्षवार गठित समूहों की राज्य स्तर से प्राप्त सूचना व जिलों से प्राप्त सूचनाओं में अत्यधिक अन्तर है। स्वयं सहायता समूहों की गत तीन वर्षों की राज्य स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार चयनित जिलों में 10729 समूह हैं जबकि मूल्यांकन विभाग की प्रलेख अनुसूची में जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलों में 18196 समूह गठित किये गये हैं। सभी जिलों से प्राप्त समूह की संख्या राज्य स्तरीय संख्या से अधिक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिलों द्वारा वर्षवार सूचना न दी जाकर योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक सूचना दी गयी है लेकिन ऐसा भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वर्ष 2005–06 के कुल समूहों की संख्या 5941 है जबकि 2004–05 के समूहों की संख्या 6174 है। अतः राज्य स्तर से चयनित जिलों की योजना के प्रारम्भ से वर्ष के अन्त तक गठित समूहों की भी सूचना संकलित की गयी। राज्य स्तर के मुख्यालय से प्राप्त चयनित जिलों में कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 के अन्त तक गठित समूहों की इकजाई प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है।

सारिणी संख्या–7

चयनित जिलों में कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 2005–06 तक गठित समूहों की संख्या

क्र.सं.	चयनित जिला	राज्य स्तर से प्राप्त आँकड़े
1	2	3
1	डूंगरपुर	2047
2	दौसा	1832
3	उदयपुर	4243
4	हनुमानगढ़	2932
5	जैसलमेर	647
6	जोधपुर	4349
	योग :	16050

2.7.3 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि राज्य स्तर पर चयनित छः जिलों में कुल 16050 समूह गठित किये गये जबकि चयनित जिलों की सूचना के अनुसार यह संख्या 18196 है। अतः राज्य स्तर से एकत्रित की गयी जिलेवार सूचनायें तथा चयनित जिले से एकत्रित सूचना में किसी प्रकार का तारतम्य व सामंजस्य नहीं पाया गया इसी प्रकार चयनित पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं व जिले की सूचनाओं में अत्यधिक विसंगतियाँ पायी गयी। कई सूचनाओं में चयनित दो पंचायत समितियों की सूचना सम्पूर्ण जिले की सूचना से अधिक पायी गयी। विभाग की समस्त स्तरों से एकत्रित प्रलेख सूचनाओं में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं अर्थात जिले की प्रलेख अनुसूची में उप निदेशक के व चयनित पंचायत समिति की प्रलेख अनुसूची में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के हस्ताक्षर हैं। अतः मूल्यांकन विभाग द्वारा पंचायत समिति, जिले व राज्य स्तर की सूचनाओं में समानता व एकरूपता लाने की पुरजोर सिफारिश की जाती है। विभाग द्वारा मोनिटरिंग के प्रारूप बनाए जाकर पंचायत समिति स्तर पर प्रेषित किये जाने चाहिए। पंचायत समितिवार सूचनाओं का संकलन जिला स्तर पर तथा जिला स्तरीय सूचनाओं का संकलन राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि सूचनाओं में एकरूपता रहे। इस संबंध में यदि मोनिटरिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया जाय तो उचित रहेगा। विभाग द्वारा माह की किसी एक विशेष तिथि तक सूचनाओं को सम्मिलित किये जाने के निर्देश सूचनाओं की एकरूपता बनाए रखने में मददगार सिद्ध होंगे।

2.7.4 जिला स्तरीय व पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं का सूक्ष्म परीक्षण कर विसंगतियाँ हटाने का प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी कई स्थानों पर शून्य सूचना अथवा सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्लेषण करने में काफी कठिनाई हुई है। अतः सिफारिश की जाती है कि जिला एवं पंचायत समितियों के निम्न आँकड़ों का उपयोग कार्यक्रम के ट्रेन्ड के रूप में किया जाय।

2.8 स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपनायी जाने वाली स्वरोजगार गतिविधियाँ :

2.8.1 चयनित छः जिलों में विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियाँ अपनायी जा रही है। जिलेवार एवं प्राथमिकतावार गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	प्राथमिकतावार गतिविधियाँ
1	डूंगरपुर	कृषि, पशुपालन, सिलाई, सब्जी उत्पादन, मनिहारी, मसाला, आचार, पायदान निर्माण, लघु उद्योग
2	दौसा	चर्मकार्य, झाड़ूपंखी, मूंजवाण, डेयरी, पशुपालन, दरी गलीचा, मनिहारी, लघु उद्योग
3	उदयपुर	पशुपालन, डेयरी, किराणा व्यापार, सिलाई, कृषि, अन्य
4	हनुमानगढ़	पशुपालन
5	जैसलमेर	पशुपालन, कृषि, डेयरी, सिलाई, कशीदाकारी, किराणा व्यापार, मनीहारी
6	जोधपुर	कृषि, पशुपालन, डेयरी, सिलाई, किराणा व्यापार, मनीहारी, पापड़ बनाना, आटा चक्की, साबुन बनाना

2.8.2 उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि अलग–अलग जिलों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वरोजगार हेतु गतिविधियों का चयन किया गया है। केवल पशुपालन/डेयरी ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो शत प्रतिशत जिलों द्वारा अपनाया गया है। जिलों द्वारा गतिविधियों में संलग्न समूहों की संख्या निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–8
जिलेवार स्वरोजगारी गतिविधियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों की संख्या
(वर्ष 2003–04 से 05–06 तक)

क्र. सं.	चयनित जिला	कृषि	पशु पालन	डेयरी	मनीहारी	सिलाई	चर्म उद्योग	लघु उद्योग	गृह उद्योग	कशीदा कारी	अन्य	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	डूंगरपुर	1355	665	15	11	25	–	18	3	–	14	2106
2	दौसा	–	57	71	23	–	100	91	–	31	–	373
3	उदयपुर	20	47	30	–	28	–	23	–	–	30	178
4	हनुमानगढ़	–	30	–	–	–	–	–	–	–	–	30
5	जैसलमेर	159	176	45	2	12	–	2	1	8	–	405
6	जोधपुर	780	425	210	110	200	–	165	82	–	–	1972
	योग	**2314**	**1400**	**371**	**146**	**265**	**100**	**299**	**86**	**39**	**44**	**5064**

2.8.3 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह कृषि के हैं। तत्पश्चात पशुपालन, डेयरी, लघु उद्योग व सिलाई के स्वयं सहायता समूहों की संख्या हैं। चयनित पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है।

सारिणी संख्या –9
चयनित पंचायत समितिवार स्वरोजगारी गतिविधियों एवं स्वयं सहायता समूहों की संख्या
(वर्ष 2003–04 से 05–06 तक)

क्र. सं.	जिला	कृषि	पशुपालन	डेयरी	मनीहारी	सिलाई	चर्म उद्योग	लघु उद्योग	गृह उद्योग	कशीदा कारी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डूंगरपुर	18	77	16	12	33	–	213	90	–	49	508
2	दौसा	–	52	27	13	–	56	17	8	12	–	185
3	उदयपुर	–	5	3	–	–	–	1	–	–	5	14
4	हनुमानगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	जैसलमेर	142	108	45	2	–	–	2	3	8	–	310
6	जोधपुर	123	182	17	–	32	–	25	60	19	–	458
	योग	**283**	**424**	**108**	**27**	**65**	**56**	**258**	**161**	**39**	**54**	**1475**

2.8.4 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित पंचायत समितियों में सर्वाधिक समूह पशुपालन तत्पश्चात कृषि, लघु उद्योग, गृह उद्योग व डेयरी के थे।

2.9 अवधिवार समूहों का वर्गीकरण :

2.9.1 योजनान्तर्गत छः माह तक समूहों का सफलतापूर्वक संचालन करने पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है, तथा 1 वर्ष तक समूह का संचालन सफलतापूर्वक किये जाने के पश्चात् समूह को बैंक के माध्यम से आर्थिक गतिविधि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अतः छः माह पुराने समूह, छः माह से एक वर्ष पुराने समूह एवं एक वर्ष से अधिक पुराने समूहों की गत तीन वर्षों की सूचना चयनित जिलों व पंचायत समितियों से चाही गयी थी। केवल डूंगरपुर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों द्वारा ही उक्त समस्त सूचना उपलब्ध करायी गयी, उदयपुर एवं हनुमानगढ़ द्वारा आधी सूचना एवं दौसा जिले द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। अतः चयनित जिलेवार विश्लेषण सम्भव नहीं है। लेकिन चयनित पंचायत समितियों द्वारा गत तीन वर्षों की अवधिवार सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गयी। अतः प्रत्येक जिले से चयनित दो पंचायत समितियों की गत तीन वर्षों (2003–04 से 05–06) तक की इकजाई प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

सारिणी संख्या –10
चयनित पंचायत समितियों की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) के स्वयं सहायता समूहों की अवधिवार इकजाई प्रगति

क्र. सं.	चयनित जिला	6 माह तक की अवधि के समूह	6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के समूह	1 वर्ष से अधिक अवधि के समूह	कुल समूह
1	2	3	4	5	6
1	डूंगरपुर	210	510	1131	1851
2	दौसा	497	342	662	1501
3	उदयपुर	234	260	943	1437
4	हनुमानगढ़	1091	1178	2004	4273
5	जैसलमेर	60	203	414	677
6	जोधपुर	89	268	358	715
	योग	2181	2761	5512	10454

2.9.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित 12 पंचायत समितियों के 10454 समूहों में से सर्वाधिक 5512 (52.73प्रतिशत) समूह एक वर्ष से अधिक पुराने थे। 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के 2761(26.41प्रतिशत) समूह व 6 माह से कम अवधि के 2181(20.86प्रतिशत) समूह थे।

2.10 प्रशिक्षित समूह एवं सदस्य संख्या :

2.10.1 योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल 50691 समूहों को प्रशिक्षित किया गया है। गत तीन वर्षों में चयनित जिलों तथा पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षित किये गये समूहों व सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या –11
गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06 तक) में प्रशिक्षित समूह एवं सदस्य

क्र. सं.	जिला	चयनित जिलों में		चयनित पंचायत समितियों में	
		समूहों की संख्या	सदस्यों की संख्या	समूहों की संख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	डूंगरपुर	779	9856	595	7635
2	दौसा	2520	5040	1331	2752
3	उदयपुर	226	904	30	188
4	हनुमानगढ़	1811	3622	531	1102
5	जैसलमेर	–	–	–	–
6	जोधपुर	2750	30250	397	2271
	योग	**8086**	**49672**	**2884**	**13948**

2.10.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों में गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) तक कुल 8086 समूहों के 49672 सदस्यों को अर्थात औसतन प्रति समूह 6 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। सर्वाधिक समूहों को जोधपुर में प्रशिक्षित किया गया जबकि जैसलमेर जिले में एक भी समूह प्रशिक्षित नहीं किया गया। इसी प्रकार चयनित पंचायत समिति स्तर पर कुल 2884 समूहों के 13948 सदस्यों अर्थात प्रति समूह औसतन 5 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत समिति स्तर पर सर्वाधिक समूह प्रशिक्षण दौसा जिले की पंचायत समितियों में पाया गया। जबकि सदस्यों की संख्या डूंगरपुर की पंचायत समितियों में सर्वाधिक थी।

2.11 बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूह :

2.11.1 चयनित जिला स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

सारिणी संख्या –12
बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों की संख्या

क्र. सं.	जिला	बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों की संख्या							
		जिलेवार				चयनित पंचायत समितिवार			
		2003–04	2004–05	2005–06	योग	2003–04	2004–05	2005–06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डूंगरपुर	94	394	1589	2077	145	379	677	1201
2	दौसा	22	167	205	394	50	66	95	211
3	उदयपुर	84	517	1019	1620	2	63	200	265
4	हनुमानगढ़	106	373	1118	1597	24	46	163	233
5	जैसलमेर	14	50	47	111	12	50	39	101
6	जोधपुर	1280	2070	1980	5330	182	141	156	479
	योग	**1600**	**3571**	**5958**	**11129**	**415**	**745**	**1330**	**2490**

2.11.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों के 18196 समूहों में से 11129 समूहों अर्थात 68.86 प्रतिशत द्वारा बैंक ऋण प्राप्त किया गया। जोधपुर जिले में सर्वाधिक 5330 समूहों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया। जबकि जैसलमेर जिले में बैंक ऋण प्राप्त करने वाले मात्र 111 समूह ही पाये गये।

2.11.3 पंचायत समितिवार आंकड़ों से विदित होता है कि डूंगरपुर जिले की चयनित पंचायत समितियों के अधिकतम समूहों ने (लाभार्थियों ने) बैंक से ऋण प्राप्त किया जबकि जैसलमेर जिले की चयनित पंचायत समितियों में सबसे कम अर्थात मात्र 101 समूहों द्वारा ही ऋण प्राप्त किया गया है। अतः जैसलमेर एवं दौसा जिले में विशेष प्रयास किये जाने की सिफारिश की जाती है।

2.12 आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने वाले समूह :

2.12.1 सामान्यतया जिन समूहों द्वारा बैंक ऋण प्राप्त किया गया है उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्थिक गतिविधि भी प्रारम्भ करेंगे। अतः आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने वाले समूह की चयनित जिलेवार एवं चयनित पंचायत समितिवार गत तीन वर्षों की सूचना निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–13
आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने वाले समूहों की गत तीन वर्षों की प्रगति

क्र. सं.	जिला	आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने वाले समूहों की संख्या							
		चयनित जिलेवार				चयनित पंचायत समितिवार			
		2003–04	2004–05	2005–06	योग	2003–04	2004–05	2005–06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डूंगरपुर	94	394	1589	2077	127	305	695	1127
2	दौसा	22	167	205	394	10	16	36	62
3	उदयपुर	84	517	1019	1620	2	63	200	265
4	हनुमानगढ़	106	373	1118	1597	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
5	जैसलमेर	14	35	56	105	12	35	48	95
6	जोधपुर	1280	2070	1980	5330	143	114	151	408
	योग	**1600**	**3556**	**5967**	**11123**	**294**	**533**	**1130**	**1957**

2.12.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों में 11123 समूहों द्वारा आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ की गयी जबकि बैंकों से ऋण 11129 समूहों द्वारा प्राप्त किया गया यदि चयनित जिलेवार उक्त सारिणी का गत सारिणी संख्या 10 से तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह विदित होता है कि जैसलमेर जिले में 111 समूहों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया लेकिन 105 समूह द्वारा ही आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ की गयी। अन्य जिलों में बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले एवं आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने वाले समूहों की संख्या समान रही है।

2.12.3 चयनित पंचायत समितियों की यदि उपर्युक्त सारिणी एवं सारिणी संख्या 10 का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो बड़े ही रोचक तथ्य उभरकर आते हैं। चयनित जिलों की चयनित पंचायत समितियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर गत तीन वर्षों में 2490 समूहों द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त किया गया लेकिन मात्र 1957 समूहों द्वारा ही आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ की गयी जिसमें हनुमानगढ़ पंचायत समितियों की सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन पंचायत समितियों को जब जिलेवार विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होता है कि उदयपुर जिले के अतिरिक्त किसी भी जिले में ऋण प्राप्त करने वाले एवं आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने वाले समूहों की संख्या समान नहीं है। डूंगरपुर में 1201 के विपरीत 1127, दौसा में 211 के विपरीत 62, जैसलमेर में 101 के विपरीत 95 एवं जोधपुर जिले में 479 के विपरीत 408 समूहों द्वारा ही आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ की गयी है। यह आँकड़े यह इंगित करते हैं कि समूहों द्वारा बैंक से ऋण तो प्राप्त कर लिया गया पर इस राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने में नहीं किया गया।

2.13 स्वयं सहायता समूहों को वितरित राशि :

2.13.1 चयनित जिलों एवं चयनित पंचायत समितियों में गत तीन वर्षों में बैंकों द्वारा स्वीकृत/वितरित राशि का वर्णन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–14
चयनित जिलों एवं पंचायत समितियों के स्वयं सहायता समूहों को गत तीन वर्षों में बैंकों द्वारा वितरित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	चयनित जिलों के स्वयं सहायता समूहों को गत तीन वर्षों में बैंकों द्वारा वितरित राशि का विवरण							
		चयनित जिलों के स्वयं सहायता समूहों को वितरित राशि				चयनित पंचायत समितियों के स्वयं सहायता समूहों को वितरित राशि			
		2003–04	2004–05	2005–06	योग	2003–04	2004–05	2005–06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डूंगरपुर	19.53	102.77	301.81	424.11	4.86	18.46	107.41	130.73
2	दौसा	4.75	24.52	43.40	72.67	2.81	1.11	15.35	19.27
3	उदयपुर	42.65	160.14	185.55	388.34	0.80	42.55	86.28	129.63
4	हनुमानगढ़	11.45	42.31	116.62	170.38	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए
5	जैसलमेर	2.43	6.47	14.37	23.27	1.93	6.47	12.89	21.29
6	जोधपुर	140.00	170.00	90.00	400.00	53.00	64.41	76.38	193.79
	योग	**220.81**	**506.21**	**751.75**	**1478.77**	**63.40**	**133.00**	**298.31**	**494.71**

2.13.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जिले में गत तीन वर्षों में 1478.77 लाख रूपये की राशि एवं चयनित पंचायत समितियों में 494.71 लाख रूपये की राशि वितरित की गयी। इस राशि को बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों से भाग देने पर प्रति समूह औसत राशि जिला स्तर पर रूपये 13287 व पंचायत समिति स्तर पर 19867 रूपये आती है जो कि बहुत ही कम कही जा सकती है।

2.14 स्वयं सहायता समूहों के आवेदन–पत्रों की स्थिति :

2.14.1 चयनित जिलों से बैंकों को प्रेषित स्वयं सहायता समूहों के आवेदन, बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत समूहों की संख्या एवं वितरित राशि की सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–15
स्वयं सहायता समूहों के आवेदन–पत्रों की स्थिति
(वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 तक)

क्र. सं.	जिले का नाम	बैंकों को भिजवाये गये समूहों के आवेदन–पत्रों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत सहायता समूहों की संख्या	समूहों को वितरित की गई राशि (राशि लाख रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	डूंगरपुर	2625	2077	423.48
2	दौसा	1054	394	69.67
3	उदयपुर	6392	1620	481.49
4	हनुमानगढ़	1597	1597	224.13
5	जैसलमेर	155	105	23.27
6	जोधपुर	2343	2343	400.00
	योग :	**14166**	**8136**	**1622.04**

2.14.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से परिलक्षित होता है कि चयनित जिलों द्वारा गत तीन वर्षों में 14166 आवेदन–पत्र बैंक को भिजवाये गये इन आवेदन–पत्रों में से 8136 (57.43 प्रतिशत) आवेदन–पत्रों पर ऋण स्वीकृत किये गये एवं 1622.04 लाख की ऋण राशि वितरित की गयी अर्थात प्रति समूह औसतन रूपये 19936 की राशि वितरित की गयी। यह निष्कर्ष विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रेषित आवेदन–पत्रों में से मात्र 57 प्रतिशत आवेदन–पत्रों पर ही ऋण वितरित हो पाया है।

2.14.3 संक्षेप में प्रलेख सूचनाओं का विश्लेषण यह इंगित करता है कि राज्य स्तर, जिला स्तर प पंचायत समिति स्तर पर सूचनाओं के संकलन में काफी विसंगतियाँ है। सूक्ष्म परीक्षण के अभाव में जिलों/पंचायत समितियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर निकाले गये परिणामों को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अतः सिफारिश की जाती है कि विभाग को यह फार्मेट बनाकर जिला/पंचायत समिति स्तर पर प्रेषित कर उसमें सूचनाएं एकत्रित कर नियमित रूप से सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात ही संकलन एवं सारणीयन करें ताकि आंकड़ों के आधार पर विभाग व स्वयं सहायता समूहों की विभिन्न गतिविधियों की विश्वसनीयता बनी रह सके।

2.15 स्वयं सहायता समूहों में बैंकों की भूमिका :

2.15.1 स्वयं सहायता समूह की आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए यह आवश्यक है कि समूह की दोनों ग्रेडिंग पास करने वाले समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त हो ताकि वे अपना इच्छित व्यवसाय प्रारम्भ कर लाभ अर्जन कर सकें। अतः चयनित जिलों के स्वयं सहायता समूहों को जिन बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त हुआ, उनको चयनित

मानते हुए बैंकों से आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने, स्वीकृति एवं ऋण प्रदान करने तथा ऋण वसूली संबंधी सूचनाएँ एकत्रित की गयी ताकि बैंकों की भूमिका का सही विश्लेषण किया जा सके। अध्ययन हेतु चयनित छः जिलों से 25 बैंकों का चयन किया गया। अतः निम्न परिणाम चयनित 25 बैंकों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर आधारित है।

2.16 बैंकों को प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन–पत्र :

सारिणी–16
चयनित जिलों की वर्षवार बैंक को प्राप्त
एवं स्वीकृत आवेदन–पत्रों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित बैंक संख्या	प्राप्त ओवदन–पत्र				स्वीकृत वितरित आवेदन–पत्रों की संख्या			
			2003–04	2004–05	2005–06	योग	2003–04	2004–05	2005–06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डूंगरपुर	5	16	28	45	89	8	28	45	81
2	दौसा	4	निल	8	18	26	निल	8	18	26
3	उदयपुर	3	5	35	95	135	5	35	95	135
4	हनुमानगढ़	3	22	52	46	120	22	52	46	120
5	जैसलमेर	4	9	18	36	63	9	18	36	63
6	जोधपुर	6	94	102	111	307	94	102	111	307
	योग :	**25**	**146**	**243**	**351**	**740**	**138**	**243**	**351**	**732**

2.16.1 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 03–04, 04–05 व 05–06 में चयनित छः जिलों में क्रमशः 146, 243 एवं 351 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जो एक बढ़ती हुई ट्रेन्ड को दर्शाते हैं। सर्वाधिक 307 आवेदन–पत्र जोधपुर जिले में प्राप्त हुए हैं जबकि न्यूनतम मात्र 26 आवेदन–पत्र दौसा जिले में प्राप्त हुए हैं।

2.16.2 सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त आवेदन–पत्र व स्वीकृत आवेदन–पत्रों में अन्तर नहीं होना चाहिए लेकिन उक्त सारिणी में यदि प्राप्त आवेदन–पत्र एवं स्वीकृत पत्रों की संख्या को ध्यान से देखा जावे तो विदित होता है कि गत तीन वर्षों में चयनित छः जिलों में कुल 740 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, जबकि इसके विपरीत 732 आवेदन–पत्र अर्थात 98.92 प्रतिशत स्वीकृत किये जा सके। जिलेवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर एवं दौसा जिलों में जितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, सभी पर ऋण स्वीकृत किया गया लेकिन डूंगरपुर जिले में स्वीकृत आवेदन–पत्रों की संख्या, प्राप्त ओवदन–पत्रों से कम रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर सभी स्वीकृत आवेदन–पत्रों को राशि वितरित कर दी गयी थी। इन बैंकों को प्राप्त ओवदन–पत्रों पर ऋण स्वीकृत नहीं करने के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आवेदन–पत्र व्यक्तिगत ऋण हेतु प्राप्त हुए जबकि स्वीकृति समूह को की जानी थी। एक समूह द्वारा आर्थिक गतिविधि पर निर्णय के अभाव में ऋण राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

2.17 वितरित ऋण राशि :

2.17.1 यद्यपि चयनित जिलों में कुल 732 समूहों को ऋण वितरित किए गये लेकिन हनुमानगढ़ की बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण नहीं दिए जाने के कारण हनुमानगढ़ की 120 स्वीकृत आवेदन–पत्रों को निरस्त करते हुए शेष 612 वितरित आवेदन–पत्रों एवं ऋण राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–17
स्वीकृत आवेदन–पत्रों एवं स्वीकृत ऋण राशि

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	बैंक संख्या	2003–04 से 2005–06 तक स्वीकृत वितरित आवेदन–पत्रों की संख्या	वर्षवार स्वीकृत ऋण राशि (रूपयों में)				औसत ऋण राशि (रूपयों में)
				2003 –04	2004 –05	2005–06	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डूंगरपुर	5	81	158650	480000	2112230	2750880	33961
2	दौसा	4	26	निल	315000	405000	720000	27692
3	उदयपुर	3	135	285000	501000	2871000	3657000	27088
4	जैसलमेर	4	63	115000	533500	855000	1503500	23865
5	जोधपुर	6	307	3159000	6226000	7226000	16611000	54107
	योग :	25	612	3717650	8055500	13469230	25242380	41245

2.17.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि स्वीकृत आवेदन–पत्रों में हुई वर्षवार वृद्धि की तरह कुल वितरित राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षों में चयनित 25 बैंकों में से 23 बैंकों द्वारा कुल 252.42 लाख रूपये की ऋण राशि वितरित की। प्रति समूह औसत ऋण राशि 41245 आती है। हनुमानगढ़ जिले के चयनित 3 बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप औसत निकालते समय हनुमानगढ़ के समूहों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2.18 आवेदन–पत्र से ऋण वितरण की औसत अवधि :

2.18.1 चयनित 25 बैंकों में से 19 बैंकों की राय में ऋण आवेदन से ऋण वितरण तक की स्थिति में सामान्यतया 15 दिन का समय लगता है, जबकि 4 बैंकों की राय में एक माह का समय एवं उदयपुर जिले की 2 बैंकों की राय में आवेदन–पत्र प्राप्त होने से वितरण तक की अवधि में सामान्यतया 2 माह की अवधि लग जाती है। चयनित 25 बैंकों में से 20 बैंकों ने ऋण राशि एकमुश्त उपलब्ध कराना बताया है जबकि डूंगरपुर के 4 एवं जैसलमेर की एक बैंक द्वारा इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

2.19 आर्थिक गतिविधिवार ऋण वितरण :

2.19.1 सामान्यतया किन–किन गतिविधियों हेतु बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया जाता है, के प्रत्युत्तर में बैंकों द्वारा भिन्न–भिन्न उत्तर दिये गये। जिलेवार प्राथमिकता के क्रम में गतिविधियों को निम्न प्रकार इंगित किया जा सकता है :–

डूंगरपुर– कृषि, डेयरी
दौसा– पशुपालन, दुकान, आचार/मुरब्बा
उदयपुर– डेयरी, दुकान, मसाला उद्योग, घरेलू (सामाजिक) कार्यों हेतु
हनुमानगढ़– पशुपालन, दुकान, घरेलू (सामाजिक) कार्य
जैसलमेर– डेयरी, दुकान, मणिहारी, पापड़–बड़ी
जोधपुर– कृषि, पशुपालन, सिलाई, घरेलू कार्य, चर्मकार्य एवं आचार निर्माण

2.20 बैंक अधिकारियों की राय में राशि की पर्याप्तता :

2.20.1 चयनित 25 बैंक अधिकारियों में से 12 बैंक अधिकारियों का कहना था कि ऋण लेने का कोई भी कारण दर्शाया जाय पर वास्तव में ऋण राशि का उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता है। अतः राशि पर्याप्त रहती है। 8 अधिकारियों का कहना था कि ऋण राशि पर्याप्त नहीं होती। अतः समूह किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने में असमर्थ रहते हैं। शेष पाँच अधिकारियों की राय में समूह की क्षमता, बचत एवं व्यवसाय की शुरूआत होने के कारण इसे पर्याप्त कहा जा सकता है। यदि बचत बढ़ती है अथवा व्यवसाय बढ़ता है तो ऋण सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।

2.21 ऋण की वसूली :

2.21.1 चयनित 25 बैंकों द्वारा कुल 732 समूहों को ऋण वितरित किया गया। चयनित बैंक अधिकारियों की राय में 67.65 प्रतिशत समूहों द्वारा ऋण का नियमित भुगतान किया जा रहा था। 23.37 प्रतिशत समूहों द्वारा अनियमित अथवा आंशिक भुगतान किया जा रहा था तथा शेष 8.98 प्रतिशत समूहों द्वारा ऋणों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी –18

बैंकों को समूहों द्वारा चुकाई जा रही ऋण राशि का प्रतिशत में विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बैंकों की संख्या /उत्तरदाता	अधिकारियों की राय में चुकायी जाने वाली राशि का विवरण (प्रतिशत में)		
			नियमित	अनियमित/आंशिक	बिल्कुल नहीं
1	2	3	4	5	6
1	डूंगरपुर	5	32.4	63.4	4.2
2	दौसा	4	56.7	23.3	20.0
3	उदयपुर	3	83.7	14.1	2.2
4	हनुमानगढ़	3	93.7	4.7	1.6
5	जैसलमेर	4	56.6	18.8	24.6
6	जोधपुर	6	68.3	21.1	10.6
	योग :	25	67.65	23.37	8.98

2.21.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि 67.65 प्रतिशत समूह नियमित रूप से 23.37 प्रतिशत आंशिक रूप से एवं शेष 8.98 प्रतिशत समूहों द्वारा ऋण राशि नहीं चुकायी जा रही है।

2.21.3 **कम ऋण वसूली के कारण :**

2.21.4 चयनित बैंक व बैंक अधिकारियों ने अनियमित/आंशिक/बिल्कुल ऋण न चुकाने के निम्न कारण बताये :–

1. समूह के सदस्यों में समय पर किश्त जमा कराने की जानकारी का अभाव
2. ऋण राशि का घरेलू कार्यों में उपयोग
3. बैंकों में स्टाफ की कमी
4. सरकार द्वारा ऋण राशि की माफी की उम्मीद
5. पशु की मृत्यु होना, बीमा न कराना व समय पर बैंक को सूचित न करना
6. समूह की आर्थिक एवं उत्पादन गतिविधि न होने के कारण आय का सृजन न होना
7. सदस्यों में पारस्परिक विश्वास एवं तालमेल का अभाव
8. लगातार अकाल के कारण

2.22 **कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव** :

2.22.1 बैंक अधिकारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–

1. समूह के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि ऋण राशि का सद्उपयोग हो सके।
2. समूह को जिस गतिविधि के लिए ऋण दिया जाता है उस गतिविधि हेतु उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिये एवं व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिये।
3. समूह गठन में अराजकीय संस्थाओं (N.G.O.) का सहयोग लिया जावे।
4. व्यवसायिक गतिविधियों हेतु अच्छे आर्थिक प्रस्ताव बनाये जावें।
5. अच्छे समूह गठन करने वाले कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि दी जावे ताकि वह रूचि से कार्य कर सकें।
6. समूह के रिकॉर्ड का संधारण नियमित रूप से नियमानुसार हों।
7. महिलाओं को शिक्षित किया जाय।
8. समूह के गठन के समय यह बतलाया जाता है कि यह समूह पाँच वर्ष की अवधि हेतु है। अतः 5 वर्ष के बाद सदस्य बचत राशि निकाल लेते हैं। अतः 5 वर्ष बाद भी समूह को चालू रखने की कोशिश करनी चाहिये।

अध्याय तृतीय

अध्ययन परिणाम

3.0 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के अध्ययन हेतु राज्य के 20 प्रतिशत अर्थात 6 जिलों यथा– जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, दौसा एवं जैसलमेर जिले का चयन किया गया। जिले के चयन के पश्चात् अध्ययन रूपांकन के आधार पर बैंक ऋण से लाभान्वित अधिकतम समूहों वाली दो–दो पंचायत समितियों एवं प्रत्येक पंचायत समिति से अधिकतम लाभान्वित दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थी अनुसूचियाँ एवं 5 अलाभप्राप्तकर्ता अनुसूचियाँ भरी गयी। अलाभप्राप्तकर्ता अनुसूची भरने का प्रमुख कारण यह ज्ञात करना था कि समूह के गठन के उपरान्त भी बैंक से ऋण प्राप्त करने में क्या प्रमुख कठिनाई रही। समूह द्वारा ही रूचि नहीं ली गयी अथवा बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में रूचि नहीं ली गयी। लाभप्राप्तकर्ता एवं अलाभप्राप्तकर्ता के अतिरिक्त बैंक अनुसूचियाँ एवं अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूचियाँ भी भरी गयी। अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूचियाँ जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम स्तर से भरी गयी। इस प्रकार कुल 202 लाभार्थी, 89 अलाभप्राप्तकर्ता, 58 सरकारी/गैर सरकारी अनुसूचियाँ, 25 बैंक अनुसूचियाँ भरी गयी। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष चयनित सैम्पल से भरी गई अनुसूचियाँ, उनके अभिमत एवं मूल्यांकन दल के अवलोकन पर आधारित है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि क्षेत्रीय कार्य के दौरान समूहों की कार्यप्रणाली का बहुत ही बारीकी से गहन अध्ययन किया गया है ताकि कार्यक्रम का गुणात्मक पहलू उभर कर आ सके। विचार विमर्श के दौरान कार्यक्रम के सफल संचालन में आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाकर प्रत्येक जिले की विशेषताओं का भी विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के न्यादर्श के अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

सारिणी संख्या–19

न्यादर्श अनुसार विभिन्न अनुसूचियों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	भरी गई अनुसूचियों का प्रकार एवं संख्या			
		लाभार्थी अनुसूची (ऋण प्राप्त करने वाले समूह)	अलाभार्थी अनुसूची (ऋण प्राप्त नहीं करने वाले समूह)	बैंक अनुसूची	सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	डूंगरपुर	27	18	5	8
2	दौसा	30	19	4	6
3	उदयपुर	40	18	3	16
4	हनुमानगढ़	40	01	3	13
5	जैसलमेर	25	18	4	7
6	जोधपुर	40	15	6	8
	योग :	**202**	**89**	**25**	**58**

3.1 स्वयं सहायता समूह का गठन :

3.1.1 अध्ययन हेतु चयनित कुल 291 स्वयं सहायता समूहों में से 202 स्वयं सहायता समूह लाभार्थी ग्रुप के तथा शेष 89 समूह अलाभप्राप्तकर्ता श्रेणी के थे। दूसरे शब्दों में 202 समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त हो गया था तथा शेष 89 समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हुआ। सुविधा की दृष्टि से इन समूहों को लाभप्राप्तकर्ता समूह एवं अलाभप्राप्तकर्ता समूह सम्बोधित किया गया है। चयनित जिलेवार लाभप्राप्तकर्ता एवं अलाभप्राप्तकर्ता समूहों के गठन वर्ष को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–20
स्वयं सहायता समूहों का गठन वर्ष

क्र. सं.	चयनित जिला	लाभार्थी प्रकार	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	गठन का वर्ष एवं वर्षवार समूहों की संख्या						
				2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डूंगरपुर	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	27	–	5	2	11	8	1	–
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	18	1	1	1	1	8	3	3
2	दौसा	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	30	–	–	–	–	27	3	–
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	19	–	–	–	–	6	13	–
3	उदयपुर	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	40	–	10	2	5	17	6	–
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	18	–	–	–	3	3	12	–
4	हनुमानगढ़	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	40	–	1	10	4	11	14	–
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	1	–	–	1	–	–	–	–
5	जैसलमेर	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	25	–	6	2	3	6	8	–
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	18	–	–	–	–	5	13	–
6	जोधपुर	(i) लाभ प्राप्तकर्ता	40	–	7	9	12	6	4	2
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	15	1	–	4	–	4	5	1
	योग :	**(i) लाभ प्राप्तकर्ता**	**202**	**–**	**29**	**25**	**35**	**75**	**36**	**2**
		(ii) अलाभ प्राप्तकर्ता	**89**	**2**	**1**	**6**	**4**	**26**	**46**	**4**

3.1.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लाभप्राप्तकर्ता समूह में सर्वाधिक 75 समूह वर्ष 2004 में गठित हुए थे, 2005 में 36 समूहों का गठन हुआ था, वर्ष 2001 व 2002 में भी गठित हुए समूहों की संख्या क्रमशः 29 व 25 थी। संक्षेप में लाभ प्राप्तकर्ताओं के समूह सभी वर्षों से संबंधित थे जबकि अलाभप्राप्तकर्ता समूह के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुल 89 समूहों में से सर्वाधिक 50 समूहों का गठन वर्ष 2005 के बाद ही हुआ। हो सकता है इनमें से कुछ समूह बैंक ऋण के लिए पात्र ही नहीं थे लेकिन शेष 39 समूहों को बने हुए एक वर्ष से भी अधिक का समय हो गया था।

3.2 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या :

3.2.1 चयनित 291 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–21

स्वयं सहायता समूहों का श्रेणीवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	कुल समूहों की संख्या लाभप्राप्तकर्ता + अलाभप्राप्तकर्ता	कुल सदस्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल सदस्यों में बी.पी.एल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	डूंगरपुर	45	674	32	522	120	421
2	दौसा	49	538	126	37	375	93
3	उदयपुर	58	623	48	233	342	502
4	हनुमानगढ़	41	412	55	–	357	51
5	जैसलमेर	43	452	71	13	368	20
6	जोधपुर	55	571	63	58	450	27
	योग :	**291**	**3270**	**395**	**863**	**2012**	**1114**

3.2.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित 291 स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की कुल संख्या 3270 थी। प्रति समूह औसत संख्या 11 पायी गयी। लाभप्राप्तकर्ताओं एवं अलाभप्राप्तकर्ताओं का श्रेणीवार विवरण यह दर्शाता है कि कुल 3270 सदस्यों में 395 (12.08 प्रतिशत) सदस्य अनुसूचित जाति के 863 (26.39 प्रतिशत) सदस्य जनजाति के एवं 2012(61.53 प्रतिशत) सदस्य अन्य जाति के थे। कुल सदस्यों में 1114 (34.06 प्रतिशत) सदस्य बी.पी.एल. थे।

3.3 स्वयं सहायता समूहों की प्रतिमाह स्वयं की बचत राशि :

3.3.1 स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रतिमाह बचत का एक कॉर्पस फण्ड बनाया जाता है और समूह की इसी राशि को सदस्यों की आवश्यकतानुसार कम ब्याज दर पर दिया जाता है। चयनित समूहों द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली बचत राशि का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–22
स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रतिमाह बचत की जाने वाली राशि

क्र. सं.	चयनित जिला	स्वयं सहायता समूहों की संख्या 202+89	समूह के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह बचत की राशि (रूपये में)					
			0– 20	20– 40	40– 60	60– 80	80– 100	100 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डूंगरपुर	45	9	25	11	–	–	–
2	दौसा	49	29	13	6	–	1	–
3	उदयपुर	58	15	8	9	–	26	–
4	हनुमानगढ़	41	34	–	7	–	–	–
5	जैसलमेर	43	14	8	12	–	9	–
6	जोधपुर	55	–	1	12	–	6	36
	योग :	**291**	**101**	**55**	**57**	**–**	**42**	**36**

3.3.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 291 समूहों में से सर्वाधिक अर्थात 101 समूहों द्वारा प्रतिमाह 20 रूपये तक की बचत की जा रही थी। यह सर्व विदित है कि स्वयं सहायता समूह अधिकांशतया गरीब व्यक्तियों के समूह हैं यही कारण है कि आधे से अधिक समूहों द्वारा प्रतिमाह 60 रूपये से भी कम राशि की बचत की जा रही है लेकिन चयनित समूहों में से 42 समूहों द्वारा प्रतिमाह 80 से 100 रूपये एवं 36 समूहों द्वारा प्रतिमाह 100 रूपये से भी अधिक की बचत की जा रही थी। 100 रूपये से अधिक बचत करने वाले सभी समूह जोधपुर जिले के थे।

3.4 समूह की प्रथम छः माह की बचत राशि :

3.4.1 योजना के प्रावधानानुसार समूह के गठन के पश्चात् सदस्यों द्वारा प्रतिमाह छोटी–छोटी बचत कर उसका समूह के सदस्यों की आवश्यकतानुसार लेनदेन किया जाना चाहिये ताकि समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना जागृत हो एवं समूह छोटी राशि का लेनदेन, ब्याज की गणना रजिस्टर संधारित करना जैसी छोटी–मोटी गतिविधियों को समझ सकें। स्वयं सहायता समूहों द्वारा गठन के प्रथम वर्ष में की गयी बचत राशि को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–23
समूह की प्रथम छः माह की बचत राशि का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले	उत्तरदाताओं की संख्या	समूह की प्रथम छः माह की बचत राशि (रूपये में)							
			0– 500	500– 1000	1000– 1500	1500– 2000	2000– 2500	2500– 3000	3000– 5000	5000 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डूंगरपुर	45	–	4	7	11	9	8	6	–
2	दौसा	49	–	18	20	2	2	2	5	–
3	उदयपुर	58	–	3	12	6	3	2	15	17
4	हनुमानगढ़	41	–	15	19	–	–	7	–	–
5	जैसलमेर	43	4	8	10	5	–	5	4	7
6	जोधपुर	55	3	1	3	3	–	9	10	26
	योग :	**291**	**7**	**49**	**71**	**27**	**14**	**33**	**40**	**50**

3.4.2 उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 49 समूहों द्वारा 500 से 1000 रूपये, 71 समूहों द्वारा 1000 से 1500 रूपये, 14 द्वारा 2000 से 2500, 33 द्वारा 2500 से 3000, 40 द्वारा 3000 रूपये से 5000 रूपये एवं शेष 50 समूहों द्वारा 5000 रूपये से अधिक की बचत की गयी। सबसे अधिक बचत जोधपुर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा एवं तत्पश्चात उदयपुर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा की गयी। 7 समूह ऐसे भी थे जिनकी प्रति समूह छः माह की बचत 500 रूपये से भी कम थी।

3.5 सर्वे दिनांक को समूह का कॉपर्स फण्ड :

3.5.1 स्वयं सहायता समूहों की आय (स्वयं की बचत राशि, ब्याज राशि व सदस्यता राशि) को कॉर्पस फण्ड कहा जाता है। लाभप्राप्तकर्ताओं एवं अलाभप्राप्तकर्ता समूहों के कॉर्पस फण्ड की राशि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–24
सर्वे दिनांक को स्वयं सहायता समूहों का कॉर्पस फण्ड

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	जिले का नाम	समूहों की संख्या			स्वयं सहायता समूहों का कॉर्पस फण्ड			
		लाभ प्राप्तकर्ता	अलाभ प्राप्तकर्ता	योग	लाभ प्राप्तकर्ता	अलाभ प्राप्तकर्ता	योग	प्रति समूह औसत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डूंगरपुर	27	18	45	549026	142204	691230	15361
2	दौसा	30	19	49	165892	57872	223764	4567
3	उदयपुर	40	18	58	813198	278464	1091662	18822
4	हनुमानगढ़	40	1	41	260242	8230	268472	6548
5	जैसलमेर	25	18	43	203733	51749	255482	5941
6	जोधपुर	40	15	55	445919	29672	475591	8647
	योग :	**202**	**89**	**291**	**2438010**	**568191**	**3006201**	**10330**

3.5.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चयनित लाभप्राप्तकर्ता स्वयं सहायता समूहों की सर्वे दिनांक को कॉर्पस फण्ड की राशि 24.38 लाख तथा अलाभप्राप्तकर्ताओं की कॉर्पस फण्ड की राशि 5.68 लाख रूपये थी। प्रति समूह यह राशि लाभ प्राप्तकर्ता तथा अलाभप्राप्तकर्ता के लिए क्रमशः 12069.35 व 6384.16 रूपये आती है। लाभ प्राप्तकर्ता एवं अलाभप्राप्तकर्ता दोनों का प्रति समूह औसत कार्पस फण्ड 10,330 रूपये था। यह राशि उदयपुर जिले में सर्वाधिक रूपये 18822 व दौसा जिले में न्यूनतम रूपये 4567 पायी गयी।

3.6 समूह की बचत के वितरण हेतु बनाए गये नियम :

3.6.1 स्वयं सहायता समूह योजना के तहत सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारम्भ में अपनी श्रद्धानुसार छोटी बचत राशि एकत्रित कर उस राशि का समूह के सदस्यों में, समूह द्वारा बनाए गये नियमानुसार लेनदेन करेंगे। समूहों द्वारा स्वयं की बचत राशि को सदस्यों के मध्य ऋण के रूप में वितरित कर स्वयं के बनाये गये नियमों के आधार पर ऋण राशि पर ब्याज लेने का प्रावधान है। चयनित जिलों के चयनित समूहों से वार्ता करने के पश्चात् प्राप्त प्रत्युत्तर को निम्न सारिणी में संकलित किया गया है :–

सारिणी संख्या–25

स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं के बनाये गये नियमों के आधार पर ऋण पर लिया जाने वाला ब्याज

क्र. सं.	चयनित जिलों की संख्या	समूहों की संख्या	2 प्रतिशत ब्याज दर सुविधानुसार किश्तें	1 प्रतिशत ब्याज दर व 10 किश्तों में वापसी	लेनदेन जारी पर ब्याज नहीं लेते छः माह में वसूली	एक रूपये सैंकड़ा लेकिन समय पर नहीं चुकान पर 5 रूपये प्रति सैकड़ा जुर्माना	समूह द्वारा लेनदेन ही नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डूंगरपुर	45	37	1	–	–	7
2	दौसा	49	24	–	–	–	25
3	उदयपुर	58	55	1	–	–	2
4	हनुमानगढ़	41	–	–	–	–	41
5	जैसलमेर	43	–	–	–	–	43
6	जोधपुर	55	–	5	11	19	20
	योग :	**291**	**116**	**7**	**11**	**19**	**138**

3.6.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 291 समूहों में से 138 (47.42 प्रतिशत) समूहों द्वारा स्वयं की बचत से लेनदेन किया ही नहीं गया जो योजना के प्रावधान के प्रतिकूल है। शेष समूहों में से 116(39.87 प्रतिशत) समूहों द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज दर, 7(2.40 प्रतिशत) समूहों द्वारा 1 प्रतिशत ब्याज दर व दस किश्तों में वसूली, 11(3.78 प्रतिशत) समूहों द्वारा बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेकिन छः माह में वसूली व शेष 19(6.53 प्रतिशत) समूहों द्वारा एक रूपया सैंकड़ा ब्याज लेकिन छः माह में न चुकाने पर 5 रूपया प्रति सैंकड़ा की दर से ब्याज लिया जा रहा था।

3.7 समूह की स्वयं की बचत से लेनदेन (लाभ प्राप्तकर्ता) :

3.7.1 सभी चयनित लाभार्थियों एवं अलाभ प्राप्तकर्ताओं से इस विषय में सूचना एकत्रित की गयी कि उनके द्वारा समूह में की गयी बचत से कितनी बार कितनी राशि प्राप्त की गयी। समूह के चयनित सदस्यों द्वारा दिया गया विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या –26
समूह के प्रारम्भ से सर्वे दिनांक तक समूह की बचत राशि से प्रदत्त ऋण

क्र. सं.	जिले	स्वयं सहायता समूह की संख्या	सदस्यों की संख्या	कभी नहीं		एक बार		2–3 बार		4–6 बार		6 बार एवं अधिक	
				सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डूंगरपुर	27	428	117	–	79	1288	139	1344	93	1478	–	–
2	दौसा	30	352	265	–	72	1215	15	1200	–	–	–	–
3	उदयपुर	40	451	3	–	47	670	103	690	110	734	188	4258
4	हनुमानगढ़	40	402	402	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	जैसलमेर	25	272	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	जोधपुर	40	424	249	–	76	2596	67	2975	14	6714	18	7667
	योग :	**202**	**2329**	**1308**	**–**	**274**	**1526**	**324**	**1469**	**217**	**1438**	**206**	**4582**

3.7.2 उपर्युक्त तालिका स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर सम्पूर्ण प्रकाश डालती है। जिस जिले में समूह में बचत कर राशि का आदान प्रदान किया गया है उस समूह से सफल समूह की अपेक्षा की जा सकती है और जिस जिले में यह परिणाम निराशाजनक है उन समूहों को असफल समूहों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तालिका का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

3.7.3 **कभी नहीं** :

3.7.3.1 चयनित छः जिलों के 202 लाभप्राप्तकर्ता स्वयं सहायता समूहों के कुल 2329 अर्थात प्रति समूह 11.5 सदस्य थे। क्षेत्रीय कार्य के दौरान सदस्यों से बातचीत करने पर पाया गया कि कुल 2329 सदस्यों में से 1308 अर्थात 56.16 प्रतिशत सदस्यों द्वारा समूह की आपसी बचत से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया। किसी कार्यक्रम के तहत आधे से भी अधिक समूहों द्वारा स्वयं की बचत से ही राशि का लेनदेन नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तथा उन्हें किसी प्रकार के ऋण की आवश्यकता नहीं है।

3.7.3.2 जिलेवार सूचना वास्तव में विचारणीय है क्योंकि हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिले में शत प्रतिशत चयनित सदस्यों द्वारा स्वयं की बचत से कभी भी आपसी लेनदेन नहीं किया गया। इन जिलों के यह आंकड़े भी सोचने पर विवश करते हैं कि क्या कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए ? विभाग द्वारा इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर के विपरीत उदयपुर जिले के परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक हैं क्योंकि कुल चयनित 451 सदस्यों में से मात्र 3 सदस्यों द्वारा ही समूह से ऋण नहीं लिया गया है लेकिन डूंगरपुर, दौसा एवं जोधपुर जिले में भी क्रमशः 27.3, 75.2 एवं 58.7 प्रतिशत सदस्यों द्वारा समूह की बचत से कभी भी ऋण नहीं लिया गया।

3.7.3.3 सदस्यों से बातचीत के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि उनके समूह की बचत राशि को बैंक में जमा करवा दिया जाता है और उस राशि पर उन्हें ब्याज मिलता है। यदि किसी सदस्य को ऋण की आवश्यकता होती है तो बैंक से ऋण राशि निकालकर उस सदस्य को दे दी जाती है। अतः समूह के द्वारा आर्थिक गतिविधि पर ध्यान नहीं दिया जाकर छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3.7.4 **एक बार ऋण** :

3.7.4.1 उपर्युक्त सारिणी से यह ज्ञात होता है कि 274(11.76 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा समूह की बचत से एक बार ऋण लिया गया। समस्त सदस्यों द्वारा ली गयी ऋण राशि से 274 सदस्यों की औसत ऋण राशि 1526/– रूपये आती है अर्थात इन सदस्यों द्वारा लगभग 1500/– रूपये का ऋण लिया गया। इस ऋण राशि में जिलेवार काफी अन्तर पाया गया। जहाँ उदयपुर जिले में औसत ऋण राशि मात्र 670 रूपये थी वहीं जोधपुर जिले में यह राशि 2596 रूपये अर्थात लगभग 2600 रूपये प्रति सदस्य थी। डूंगरपुर व दौसा जिलों में औसत ऋण राशि क्रमशः रूपये 1288 व 1215 पायी गयी।

3.7.5 **दो से तीन बार ऋण** :

3.7.5.1 चयनित 2329 सदस्यों में से 324 (13.9 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा स्वयं की बचत से दो से तीन बार के मध्य ऋण लिया गया। चयनित सदस्यों की औसत ऋण राशि रूपये 1469 थी। सर्वाधिक ऋण राशि जोधपुर जिले में 2975 रूपये थी जबकि सबसे कम उदयपुर जिले में 690 रूपये थी। डूंगरपुर एवं दौसा जिलों में औसत ऋण राशि रूपये 1344 एवं 1200 पायी गयी।

3.7.6 **चार से छः बार ऋण** :

3.7.6.1 चयनित छः जिलों में से मात्र तीन जिलों डूंगरपुर, उदयपुर व जोधपुर के 217 सदस्यों द्वारा चार से छः बार ऋण लेना बताया गया। इन चयनित 9.3 प्रतिशत सदस्यों द्वारा 1438 रूपये का औसत ऋण लिया गया था। उदयपुर जिले में औसत ऋण राशि केवल 734 रूपये थी जबकि जोधपुर जिले में यह राशि काफी अधिक अर्थात 6714 रूपये पायी गयी। डूंगरपुर जिले में 93 सदस्यों द्वारा औसत 1478 रूपये का ऋण लेना बताया गया।

3.7.7 **छः बार से अधिक ऋण** :

3.7.7.1 चयनित सदस्यों में उदयपुर एवं जोधपुर जिलों के 206(8.8 प्रतिशत) सदस्य ऐसे भी थे जिन्होने स्वयं सहायता समूह से छः से भी अधिक बार ऋण प्राप्त किया। प्रत्येक बार के ऋण की औसत राशि 4582 रूपये थी। उदयपुर जिले में प्रति सदस्य प्रत्येक बार की औसत ऋण राशि रूपये 4258 रूपये थी जबकि जोधपुर में 7667 रूपये थी।

3.7.7.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि छः बार से अधिक ऋण लेने वाले लोगों की ऋण की राशि में वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि इन सदस्यों द्वारा राशि का विनियोग/सदुपयोग किया गया है, क्योंकि एक ऋण चुकाने के पश्चात् ही दूसरा ऋण प्राप्त होता है। एक से छः बार ऋण लेने वाले सदस्यों की औसत ऋण राशि 1500 रूपये है जबकि छः बार से अधिक ऋण लेने वाले सदस्यों की औसत ऋण राशि 4500 रूपये से अधिक है।

3.8 समूह की स्वयं की बचत से लेनदेन (अलाभप्राप्तकर्ता) :

3.8.1 समूह के बचत से आपस में लेनदेन की सूचना अलाभप्राप्तकर्ता समूहों से अलग से एकत्रित की गयी। अलाभप्राप्तकर्ता समूहों द्वारा आपस में लेनदेन की संख्या एवं औसत ऋण राशि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या –27
समूह के प्रारम्भ से सर्वे दिनांक तक समूह की बचत राशि से प्रदत्त ऋण

क्र. सं.	जिले	समूहों की संख्या	सदस्यों की संख्या	कभी नहीं		एक बार		2–3 बार		4–6 बार		6 बार एवं अधिक	
				सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि	सदस्यों की संख्या	औसत ऋण राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	डूंगरपुर	18	246	156	निल	51	1049	38	1309	1	750	–	निल
2	दौसा	19	186	176	–	8	713	2	1250	निल	निल	–	निल
3	उदयपुर	18	182	निल	निल	11	800	49	747	45	871	77	1779
4	हनुमानगढ़	1	10	10	–	–	निल	–	निल	–	निल	–	निल
5	जैसलमेर	18	180	180	–	निल	निल	–	निल	–	निल	–	निल
6	जोधपुर	15	148	109	–	26	2215	10	2700	1	4000	2	2000
	योग :	**89**	**952**	**631**	**–**	**96**	**1308**	**99**	**1170**	**47**	**933**	**79**	**1785**

3.8.2 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अलाभप्राप्तकर्ता समूहों में भी 952 सदस्यों में से 631(66.20 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा कभी लेनदेन ही नहीं किया गया। 96 (10.08 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा एक बार, 99(10.40 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा दो से तीन बार, 47(4.94 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा 4 से 6 बार एवं शेष 79(8.30 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा 6 से भी अधिक बार लेनदेन किया गया। औसत ऋण राशि क्रमशः 1308रूपये, 1170 रूपये, 933 रूपये एवं 1785 रूपये पायी गयी। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर में कोई लेनदेन नहीं किया गया।

3.9 समूहों द्वारा रजिस्टर का संधारण :

3.9.1 स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के रजिस्टर/पंजिका यथा मीटिंग रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, ऋण पंजिका, कैशबुक, बैंक पासबुक आदि भलीभांति संधारित की जाने की अपेक्षा की जाती है। बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों के लिए खातों को भलीभांति संधारण और भी आवश्यक हो जाता है। विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के संधारण के विषय में चयनित सभी समूहों से इस प्रकार की सूचना

एकत्रित की गयी। चयनित 89 अलाभप्राप्तकर्ता समूहों में अधिकांश समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के लेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। 53 अलाभप्राप्तकर्ता समूहों द्वारा केवल एक रजिस्टर संधारित किया जा रहा है जिसमें मीटिंग के लेनदेन की राशि आदि सभी का विवरण था। जैसलमेर के चयनित 11 समूहों द्वारा किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। शेष 25 समूहों के पास व्यक्तिगत डायरी/बैंक पासबुक, प्रवेश रजिस्टर/उपस्थिति रजिस्टर पाये गये लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं था।

चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारिणी–28

लाभ प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेख

क्र. सं.	चयनित जिला	समूहों की संख्या	मीटिंग रजिस्टर	उपस्थिति रजिस्टर	ऋण पंजिका	कैश बुक	बैंक पासबुक	व्यक्तिगत पासबुक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डूंगरपुर	27	21	21	21	21	21	21
2	दौसा	30	18	4	19	21	3	–
3	उदयपुर	40	40	40	40	40	40	–
4	हनुमानगढ़	40	40	40	40	40	40	40
5	जैसलमेर	25	21	21	–	–	11	–
6	जोधपुर	40	30	25	9	2	31	–
	योग :	**202**	**170**	**151**	**129**	**124**	**146**	**61**
	प्रतिशत		**(84.16)**	**(74.75)**	**(63.86)**	**(61.39)**	**(72.28)**	**(30.20)**

3.9.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 170 समूहों द्वारा मीटिंग रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर को नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है लेकिन शेष अभिलेखों का या तो संधारण किया ही नहीं जा रहा अथवा उन्हें आदिनांक नहीं किया जा रहा। सर्वे परिणामों के आधार पर उदयपुर एवं हनुमानगढ़ जिलों के अतिरिक्त किसी भी चयनित जिले में शत प्रतिशत चयनित समूहों द्वारा अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है। सभी चयनित समूहों के पास रजिस्टर खोले हुए थे लेकिन उनका संधारण पूर्ण नहीं था अथवा सही नहीं पाया गया। इस संबंध में वार्ता करने पर पाया गया कि समूहों के सदस्यों के अशिक्षित होने के कारण सभी प्रकार के अभिलेखों का संधारण करने में कठिनाई आती है। कई स्थानों पर प्रचेताओं/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद रिक्त होने के कारण अथवा रूचि न लेने के कारण अभिलेख आदिनांक नहीं किये जाते। अतः रिकॉर्ड संधारण के लिए समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। समूह में जितनी भी महिलाएँ साक्षर हैं, उन्हें रजिस्टर संधारण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि सदस्य महिलाएँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति में स्वयं रिकॉर्ड को आदिनांक कर सके तथा प्रचेताओं/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य भी कम हो सके।

3.10 स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित बैठकें :

3.10.1 स्वयं सहायता समूहों द्वारा मीटिंग आयोजित करना एक प्रमुख गतिविधि है। इसी मीटिंग के कारण सदस्यों में आपसी मेलजोल बढ़ता है, समूह के नियम व शर्तें बनायी जाती है तथा आगे की रणनीति तय की जाती है। शत प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा बताया गया कि उनके समूहों की मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3.10.2 चयनित 202 समूहों में से 133(65.8 प्रतिशत) के अनुसार समूह की मीटिंग आंगनबाड़ी केन्द्र पर, 44(21.8 प्रतिशत) के अनुसार किसी भी सदस्य के घर एवं शेष 25 (12.4 प्रतिशत) द्वारा मीटिंग अध्यक्ष के घर आयोजित की जाती है। चयनित 202 समूहों द्वारा बताये गये मीटिंग के एजेन्डा का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	एजेन्डा	समूहों की संख्या
1.	समूह का उचित संचालन, नियमित बचत, ऋण वसूली	119
2.	आपसी लेनदेन के नियम, शर्तें व समय पर वसूली	117
3.	बचत को प्रोत्साहन व आय बढ़ाने पर चर्चा	39
4.	आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी व विचार विमर्श	14
5.	कृषि कार्यों पर चर्चा	04
6.	सामाजिक बुराईयों व अन्धविश्वासों पर चर्चा	13
7.	समूह की सदस्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा	03

3.10.3 उपर्युक्त सारिणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह की बैठकों में सभी प्रकार के पहलुओं पर चर्चा की जाती है। अतः सभी सदस्यों को इसकी जानकारी प्राप्त होती है लेकिन मीटिंग के एजेन्डा का मुख्य बिन्दु नियमित बचत को प्रोत्साहन करना तथा समूह का उचित प्रकार से संचालन करना है। यह एक संतोष का विषय है कि महिला समूहों द्वारा समाज में प्रचलित सामाजिक बुराईयों व अन्धविश्वासों पर भी चर्चा की जाती है जिससे भविष्य में सामाजिक सुधार व चेतना की अपेक्षा की जा सकती है।

3.11 चयनित स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण :

3.11.1 स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व सदस्यों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। चयनित सदस्यों को आर्थिक गतिविधि के संबंध में दिये गये प्रशिक्षण की सूचना निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–29
स्वयं सहायता समूहों को गतिविधि हेतु प्रशिक्षण का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	कुल समूह लाभ प्राप्तकर्ता + अलाभप्राप्तकर्ता	चयनित गतिविधि हेतु समूहों को प्रशिक्षण दिया गया	
			हाँ	नहीं
1	2	3	4	5
1	डूंगरपुर	45	26	19
2	दौसा	49	–	49
3	उदयपुर	58	2	56
4	हनुमानगढ़	41	–	41
5	जैसलमेर	43	–	43
6	जोधपुर	55	47	8
	योग :	**291**	**75**	**216**
	प्रतिशत		**(25.77 प्रतिशत)**	**(74.23 प्रतिशत)**

3.11.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 291 स्वयं सहायता समूहों में से 75(25.77 प्रतिशत) समूहों को चयनित गतिविधि हेतु प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन 216 (74.23 प्रतिशत) समूहों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जिलेवार विवरण यह दर्शाता है कि केवल जोधपुर जिला ही ऐसा जिला है जहाँ चयनित 55 में से 47 समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। शेष जिलों में से केवल डूंगरपुर में 26 व उदयपुर में 2 समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। दौसा, हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर में एक भी समूह ने प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना नहीं दी।

3.11.3 जिन 75 समूहों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनमें से 19(25.33 प्रतिशत) समूहों ने मात्र एक दिन का, 17(22.67 प्रतिशत) समूहों ने 2 दिनों का व 39(52.00 प्रतिशत) समूहों ने 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। डूंगरपुर के तीन समूहों के केवल अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को ही प्रशिक्षण दिया गया। शेष समूहों के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी सदस्यों को आर्थिक गतिविधि के संचालन की जानकारी देने के साथ–साथ बचत करते समय पर ऋण राशि जमा कराने, बैंक की कार्यप्रणाली, पासबुक आदि विषयों पर भी चर्चा की गयी।

3.11.4 प्रशिक्षण के स्थान व संख्या व किसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया की सूचना के प्रत्युत्तर में अधिकांश समूहों द्वारा प्रशिक्षण का स्थान ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी व पंचायत समिति कार्यालय बनाया गया। प्रशिक्षण भी अधिकांश समूहों को समेकित बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक/अधिकारी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया गया। 7 समूहों को बैंक अधिकारियों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया।

3.12 बैंक से प्राप्त ऋण के संबंध में :

3.12.1 चयनित 291 समूहों में से 202 समूह ऐसे थे जिन्होनें बैंकों से ऋण प्राप्त किया था। जिलेवार एवं बैंकवार ऋण प्राप्त करने वाले समूहों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–30
बैंकवार ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वयं सहायता समूह संख्या	ऋण प्राप्त करने वाले बैंक का नाम					
			यूको बैंक एवं अन्य बैंक	एसबीबीजे	बैंक ऑफ बड़ौदा	राजस्थान बैंक	कॉपरेटिव बैंक	कोई जवाब नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डूंगरपुर	27	–	–	13	6	3	5
2	दौसा	30	5	25	–	–	–	–
3	उदयपुर	40	40	–	–	–	–	–
4	हनुमानगढ़	40	40	–	–	–	–	–
5	जैसलमेर	25	24	–	–	–	–	1
6	जोधपुर	40	29	9	–	–	2	–
	योग :	202	138	34	13	6	5	6

3.12.2 उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि चयनित 202 समूहों में से सर्वाधिक 138 समूहों ने यूको बैंक एवं अन्य स्थानीय बैंकों से, 34 समूहों ने एसबीबीजे बैंक से, 13 समूहों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से, 6 ने राजस्थान बैंक से व शेष 5 ने कॉपरेटिव बैंक से ऋण प्राप्त किया था, जबकि शेष 6 समूहों द्वारा बैंक का नाम ही नहीं बताया गया। डूंगरपुर जिले को छोड़ सभी जिलों में यूको बैंक ने सर्वाधिक समूहों को ऋण प्रदान किया है।

3.13 गतिविधिवार ऋण का विवरण :

3.13.1 चयनित 202 समूहों द्वारा जिन गतिविधियों के लिए बैंक ऋण प्राप्त किया गया उनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी–31
गतिविधिवार बैंक से ऋण हेतु आवेदन का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वयं सहायता समूह संख्या	गतिविधिवार बैंकों को आवेदन किया						
			कृषि	पशुपालन	छोटे उद्योग	दुकान के लिए	आन्तरिक लेनदेन	घरेलू कार्य	कोई जवाब नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	डूंगरपुर*	27	23	13	16	–	–	9	–
2	दौसा	30	–	8	3	2	12	5	–
3	उदयपुर	40	–	4	2	1	33	–	–
4	हनुमानगढ़	40	1	13	13	–	–	5	8
5	जैसलमेर	25	3	10	7	1	–	4	–
6	जोधपुर	40	8	4	25	2	–	1	–
	योग :	**202**	**35**	**52**	**66**	**6**	**45**	**16**	**8**

* एक से अधिक व्यवसायों हेतु आवेदन

3.13.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों में से सर्वाधिक 66 समूहों द्वारा छोटे उद्योग धन्धे यथा झाड़ू बनाना, मनिहारी का सामान, अचार, पापड़ उद्योग, सिलाई मशीन आदि के लिए, 52 समूहों द्वारा पशुपालन के लिए, 35 समूहों द्वारा कृषि कार्यों हेतु, 6 समूहों द्वारा दुकान हेतु व 16 समूहों द्वारा घरेलू कार्य हेतु ऋण के लिए आवेदन किया गया। 45 समूह ने ऋण लेकर आपस में ही आवश्यकतानुसार वितरित कर लिया था। शेष 8 समूहों को यह ज्ञात नहीं था कि आवेदन किस गतिविधि हेतु किया गया।

3.14 ऋण हेतु आवेदन का वर्ष :

3.14.1 चयनित 202 समूहों द्वारा बैंक ऋण हेतु आवेदन वर्ष निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी –32

स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंक ऋण हेतु आवेदन–पत्रों का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ऋण हेतु आवेदन का वर्ष						
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	एन आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डूंगरपुर	27	–	–	–	8	–	2	17
2	दौसा	30	–	–	–	4	25	–	1
3	उदयपुर	40	–	–	–	6	5	19	10
4	हनुमानगढ़	40	–	–	3	3	16	18	–
5	जैसलमेर	25	5	–	–	2	14	4	–
6	जोधपुर	40	–	1	4	18	8	9	–
	योग :	**202**	**5**	**1**	**7**	**41**	**68**	**52**	**28**

3.14.2 उपर्युक्त तालिका यह इंगित करती है कि अधिकांश अर्थात 120 समूहों द्वारा बैंक ऋण हेतु वर्ष 2005 अथवा 2006 में ही ओवदन किया गया था। वर्ष 2004 में 41 समूहों द्वारा, वर्ष 2003 में 7 समूहों द्वारा एवं मात्र 5 समूहों द्वारा वर्ष 2001 में आवेदन किया गया था। दूसरे शब्दों में नवगठित समूहों द्वारा ही बैंक ऋण हेतु आवेदन किया गया।

3.15 आवेदन–पत्रों में ऋण राशि :

3.15.1 चयनित समूहों द्वारा आवेदन की कुल एवं औसत राशि निम्न सारिणी में दर्शायी गई है :–

सारिणी –33
चयनित समूहों द्वारा आवेदित ऋण राशि एवं प्राप्त राशि

(रूपयों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	समूहों की संख्या	ऋण आवेदन राशि (रूपयों में)		प्राप्त (वितरित) ऋण राशि (रूपयों में)	
			कुल राशि	प्रति समूह औसत राशि	कुल ऋण राशि	प्रति समूह औसत ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	डूंगरपुर	27	1101500	40796	1101500	40796
2	दौसा	30	717600	23920	717600	23920
3	उदयपुर	40	2090000	52250	1984400	49610
4	हनुमानगढ़	40	473500	11837	338500	8462
5	जैसलमेर	25	589000	23560	589000	23560
6	जोधपुर	40	1123000	28000	1084000	27100
	योग :	**202**	**6094600**	**30171**	**5815000**	**28787**

3.15.2 उपर्युक्त तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि चयनित 202 लाभ प्राप्तकर्ता समूहों द्वारा 6094600 रूपये के ऋण हेतु आवेदन किया गया जिसकी प्रति समूह औसत ऋण राशि 30171 रूपये थी। इसके विपरीत चयनित समूहों को 28787 रूपये औसत ऋण राशि स्वीकृत की गयी। यह राशि हनुमानगढ़ में न्यूनतम व उदयपुर में अधिकतम पायी गयी। डूंगरपुर, दौसा एवं जैसलमेर जिलों में आवेदित ऋण राशि व प्राप्त ऋण राशि में कोई अन्तर नहीं पाया गया जबकि शेष जिलों में प्राप्त राशि आवेदित राशि से कम पायी गयी।

3.16 ऋण का उपयोग :

3.16.1 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा ऋण का उपयोग एक ही गतिविधि में न किया जाकर एक से अधिक गतिविधियों के लिये किया जाता है। चयनित 202 समूहों द्वारा बैंक से प्रदत्त ऋण को निम्नांकित गतिविधियों में उपयोग किया गया।

क्र.सं.	गतिविधि	समूहों की संख्या
1.	पशुपालन	106
2.	कृषि	49
3.	व्यापार	20
4.	सिलाई	7
5.	अन्य कार्य	79
6.	किसी गतिविधि में नहीं	32

3.16.2 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि अधिकांश समूहों द्वारा ऋण का उपयोग पशुपालन में किया गया है। कृषि में भूमि समतलीकरण, कुआं गहरा कराना, मेड़बन्दी आदि पर 49 समूहों द्वारा व्यय किया गया है। 20 समूहों द्वारा दुकान, किराणा व्यापार व अन्य छोटे–छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण का उपयोग किया गया है।

3.17 ऋण की पर्याप्तता :

3.17.1 चयनित 202 समूहों में से 177 समूहों ने बैंक से प्राप्त ऋण की राशि को पर्याप्त बताया जबकि शेष 25 सदस्यों के अनुसार ऋण की राशि पर्याप्त नहीं थी। इन समूहों में से 10 ने स्वयं की बचत को काम में लिया, 6 समूहों द्वारा उधार लिया गया एवं शेष 9 समूहों द्वारा कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया गया।

3.18 ऋण की वसूली :

3.18.1 चयनित 202 समूहों में से 186 समूहों की ऋण वसूली प्रारम्भ हो चुकी थी, 6 समूहों की ऋण वसूली प्रारम्भ नहीं हुई थी व शेष 10 समूहों द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। चयनित 202 समूहों द्वारा कुल 3532 किश्तों में भुगतान किया जाना था। जिसमें से 1824 किश्तें चुकायी जा चुकी थी। अधिकांश समूहों द्वारा प्रतिमाह प्रति सदस्य 200 से 1000 रूपये के मध्य ऋण राशि चुकायी जा रही थी।

3.19 आय में वृद्धि :

3.19.1 चयनित 202 समूहों में से 123 (60.9प्रतिशत) समूहों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। शेष 79 समूहों ने अवगत कराया कि बैंक ऋण के फलस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुई है और अतिरिक्त आय का उपयोग सामान्यतया ऋण चुकाने, घरेलू कार्य अथवा व्यापार में उपयोग किया गया।

3.20 परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन :

3.20.1 202 समूहों को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि 114 समूहों के पास परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध थी। 14 समूहों के पास उपलब्ध नहीं थी एवं शेष 74 समूहों द्वारा ऋण का उपयोग व्यापार को बढ़ाने अथवा घरेलू कार्य में किया गया था।

3.21 स्वयं सहायता समूह के गठन से ऋण वसूली तक की कठिनाईयाँ :

3.21.1 स्वयं सहायता समूहों का स्वरूप सभी जिलों में समान नहीं है कहीं समूह द्वारा की गयी बचत का उपयोग आपसी लेनदेन में किया जा रहा है तो कहीं बचत को बैंक में जमा कराया जा रहा है। बैंक द्वारा प्राप्त ऋण का उपयोग कुछ समूहों द्वारा आर्थिक गतिविधि में किया जा रहा है तो कुछ समूहों द्वारा घरेलू व सामाजिक कार्यों में। विभिन्न चयनित समूहों द्वारा समूह गठन से लेकर बैंक ऋण प्राप्त करने तक आई कठिनाईयों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. समूह के अधिकांश सदस्यों का अनपढ़ एवं निरक्षर होने के कारण रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई
2. अधिकांश समूहों का प्रमुख उद्धेश्य बचत करना
3. समूह की एक गतिविधि न होना व सभी सदस्यों द्वारा ऋण लेने में रूचि नहीं लेना
4. सदस्यों द्वारा आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने में रूचि न लेना
5. सामूहिक आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु प्रभावी व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव
6. ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया जटिल व लम्बी होना
7. बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण स्वीकृति में रूचि न लेना
8. बैंक अधिकारियों का व्यवहार रूखा होना तथा बार–बार बैंक के चक्कर कटवाना
9. सभी सदस्यों द्वारा मासिक बचत की राशि नियमित रूप से जमा न करवाना
10. समूह का एक ही गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए तैयार न होना
11. बैंक का गांव में न होना। बचत राशि को जमा कराने हेतु भी समूह का व्यक्तिगत खर्च होना।
12. विभिन्न विचारधारा/आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं के होने से समूहों का टूटना।
13. ऋण राशि को समूह के सदस्यों में वितरित करने में प्रत्येक सदस्य से ऋण वसूली करने में अध्यक्ष व सचिव को कठिनाई आती है।
14. समूह के सदस्यों द्वारा ऋण राशि का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं अथवा सामाजिक कार्यों में करना।

3.22 **स्वयं सहायता समूह योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव** :

3.22.1 स्वयं सहायता समूह योजना के बारे में चयनित 58 अधिकारियों/गैर अधिकारियों में से अधिकांश इस बात से सहमत थे कि अशिक्षित, असमान विचारधारा वाले समूह लम्बे समय तक नहीं चलते हैं महिलाओं के पास समय का अभाव होता है वे न तो समूह की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेती है और न ही किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि चलाने में रूचि रखती है। महिलाओं का एकमात्र उद्धेश्य मासिक बचत करना है और यह कार्यक्रम मासिक बचत करवाने में काफी हद तक सफल रहा है। समूह के सही गठन के लिए चयनित अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव निम्नांकित हैं :–

क्र. सं.	सुझाव	अधिकारियों की संख्या
1	समूह के गठन से पूर्व महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की पूर्ण जानकारी दी जावे।	11
2	समूह की नियमित बैठकें आयोजित की जाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जावे एवं समस्याओं का समाधान किया जावे।	5
3	समान विचारधारा व आर्थिक स्थिति वाले सदस्यों का समूह बनाया जावे।	9
4	उन्हीं सदस्यों का समूह गठित किया जावे जो आर्थिक गतिविधियाँ चलाने में रूचि रखते हों।	16
5	समूह को ऋण लेकर आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित किया जावे एवं आर्थिक गतिविधि तय होने पर एक ही गतिविधि हेतु समूह को ऋण दिया जावे।	2
6	बैंकों द्वारा ऋण समय पर, आसानी से एवं पर्याप्त मात्रा में दिलाया जावे। ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जावे।	20
7	समूह द्वारा दो बार ऋण चुका देने के पश्चात बचत का 10 गुना अथवा उद्योग की आवश्यकतानुसार ऋण दिया।	10
8	कच्चे माल एवं विपणन की व्यवस्था की जावे।	8
9	खाली पदों को प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा शीघ्र भरा जावे।	8
10	ऋण की राशि को समूह के सदस्यों में बराबर वितरित करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाकर एक ही गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।	9
11	समूह के सभी सदस्यों को सभी प्रकार का रिकॉर्ड रखने का गहन प्रशिक्षण दिया जावे।	11

अध्याय चतुर्थ

योजना का वास्तविक स्वरूप, कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1 स्वयं सहायता समूह का वास्तविक स्वरूप :

4.1.1 स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर समान रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मूल्यांकन हेतु चयनित छः जिलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन अलग–अलग देखने को मिला। क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर स्वयं सहायता समूह के क्रियान्वयन को मोटे तौर पर निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

(i) लक्ष्य पूर्ति हेतु बनाए गये स्वयं सहायता समूह

(ii) बचत को प्रोत्साहन देने वाले स्वयं सहायता समूह

(iii) व्यक्तिगत रूप से आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूह

4.2 लक्ष्य पूर्ति हेतु बनाए गये स्वयं सहायता समूह :

4.2.1 प्रत्येक जिले में कुछ समूह केवल आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाये गये हैं। इस प्रकार के समूह शीघ्र ही टूट जाते हैं। प्रोत्साहन की कमी, सदस्यों में आपसी मनमुटाव, आर्थिक तंगी, रूचि व जागरूकता का अभाव, कार्यकर्ताओं के पास समय का अभाव, निरीक्षण की कमी आदि कारण इस प्रकार के समूह टूटने का प्रमुख आधार है। इस प्रकार के समूह हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए गये।

4.3 बचत को प्रोत्साहन देने वाले स्वयं सहायता समूह :

4.3.1 इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपनी स्वयं की बचत राशि (कॉर्पस फण्ड) का उपयोग भी आपसी लेनदेन में नहीं किया जा रहा है। चयनित जिलों में योजना का यही स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है। हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर जिलों के चयनित एक भी समूह द्वारा आपसी लेनदेन नहीं किया गया। दौसा एवं जोधपुर जिले में भी इस प्रकार के समूहों का प्रतिशत सर्वाधिक था। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह बचत की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे हैं।

4.3.2 इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वयं की बचत राशि को प्रतिमाह बैंक में जमा कराया जाता है और जमा पूंजी के आधार पर बैंकों द्वारा स्वयं की बचत का दुगना अथवा तीन गुना बैंक द्वारा समूह को लोन के रूप में वितरित किया जाता है। इस प्रकार समूह की बचत राशि बैंक में होने से बैंकों की रिस्क कम हो जाती है। दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह को अपनी स्वयं की बचत पर बैंक से कम ब्याज मिलता है और बैंक से लिये गये ऋण पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह समूह की बचत को बैंक में जमा कराने पर समय व धन दोनों ही अधिक व्यय होते हैं संक्षेप में इस प्रकार के लेनदेन से निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं :–

1. समूह की बचत राशि के आधार पर बैंक द्वारा ऋण दिये जाने से बचत राशि जमानत का कार्य करती है।
2. बैंकों को समूह की बचत राशि पर कम ब्याज देना पड़ता है तथा लोन पर अधिक ब्याज मिलता है जिससे बैंकों को आर्थिक फायदा होता है।
3. बैंक की रिस्क न्यूनतम होती है। अतः बैंक अधिक से अधिक लोन देने को तत्पर रहते हैं।
4. समूह द्वारा आर्थिक गतिविधि में कम रूचि ली जाती है तथा बैंक का ऋण समय पर चुकाने में तत्परता दर्शायी जाती है।
5. कई परिस्थितियों में लोन लेने व चुकाने का कार्य बिना किसी आर्थिक गतिविधि के चलता रहता है। जब भी योजना की सफलता का आकलन किया जाता है तो यह तथ्य उभरकर आता है कि अधिकांश समूहों द्वारा बैंक लोन लिया गया व समय पर चुकाया गया जबकि वास्तव में वह लोन समूह के उन सदस्यों को दे दिया जाता है जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। यह ऋण बेटे की साइकिल की दुकान खोलने, पति के किराणा की दुकान में अतिरिक्त सामान मंगाने, पुत्री की शादी, मकान निर्माण अथवा बीमार की दवा वगैरह में खर्च किया जा सकता है। अधिकांश परिस्थितियों में समूह के सदस्यों के दबाव के कारण अथवा समूह में स्वयं की इज्जत के कारण बैंकों को समय पर लोन की किश्त भी चुका दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन के भी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपनी–2 आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त होता है और चुकाया भी जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से इसे योजना का सफल क्रियान्वयन कहा जा सकता है। लेकिन योजना के उद्धेश्यों को दृष्टिगत रखकर विश्लेषण किया जाय तो इसे सफल नहीं कहा जा सकता।
6. समूह के सदस्यों को अधिक आर्थिक हानि होती है।
7. समूह द्वारा कोई भी आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की जाती है।

8. समूह में 'एक सब के लिए व सब एक के लिए' की भावना जागृत नहीं हो पाती।
9. उन सभी व्यक्तियों को लाभ होता है जो लोन लेना चाहते हैं क्योंकि जमानत के अभाव में बैंक लोन नहीं दे पाते और साहूकार बैंक से भी ऊँची ब्याज दर वसूल करते हैं।
10. योजना का क्रियान्वयन बचत बढाने की प्रवृत्ति को विकसित कर रहा है।

4.3.3 संक्षेप में इस प्रकार के समूहों के आँकड़े देखने से ज्ञात होता है कि समूह बनाए गये हैं उनका बैंक में खाता खुला है, राशि जमा है, लोन लिया गया है और नियमित रूप से चुकाया भी जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश समूहों द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि नहीं की जा रही है।

4.4 व्यक्तिगत रूप से आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूह :

4.4.1 इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों द्वारा पहले अपनी बचत से लेनदेन किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण राशि लेकर आर्थिक गतिविधि में उपयोग की जाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चयनित छः जिलों में कोई भी स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं पाया गया जो उत्पादन से वितरण तक सामूहिक गतिविधि करता हो। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनी अलग–अलग गतिविधियाँ की जा रही है। उनके द्वारा ऋण राशि का उपयोग भी आपस में बांटकर किया जा रहा है व राशि का भुगतान भी व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार के समूह सभी जिलों में पाए गये लेकिन उनकी संख्या बहुत कम/नगण्य कही जा सकती है। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह के क्रियान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार पाये गये।

1. क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं की छोटी बचतों को एकत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जमा कराया जाता है। समूह के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर समूह के सदस्यों की मांग के अनुसार उन्हें लोन दिया जाता है एवं समूह द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार ऋण मय ब्याज वसूल भी किया जाता है।
2. कई समूहों की स्वयं की बचत/कॉर्पस फण्ड की राशि ही इतनी अधिक हो गयी कि वे बैंक से ऋण लेना उचित नहीं समझते। उन्हें यह बात भलीभांति समझ में आ गयी है कि बैंकों से अधिक ऋण लिये जाने से तो अच्छा है कि स्वयं की बचत से ही समूह के सदस्यों को ऋण दिया जाय ताकि समूह की बचत समूह में रहे।

3. कुछ समूहों के पास 80 हजार से 1.20 लाख रूपये तक की राशि एकत्रित हो गयी। जिसका हिसाब रखना कम पढ़ी–लिखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आसान नहीं। ऐसी परिस्थिति में समस्त राशि को समूह के सदस्यों में बांटकर पुनः नए सिरे से स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जाता है।
4. बहुत ही कम समूहों अथवा नगण्य समूहों में आर्थिक गतिविधी में पूरा समूह संलग्न पाया गया। अधिकांश समूहों में बचत राशि एवं बैंक से प्राप्त ऋण राशि को समूह के सदस्यों की आवश्यकतानुसार बांट दिया जाता है।
5. सामान्यतया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिमाह सब सदस्यों से किश्त की राशि एकत्रित की जाकर समूह के बैंक खाते में जमा करायी जाकर पासबुक में प्रविष्टि करायी जाती है। कई स्थानों पर समूह के सदस्यों की अलग–अलग पासबुक भी बनायी गयी है।
6. अधिकांश स्थानों पर यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ही किया जाता है। अतः जहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधिक सक्षम, योग्य, रूचि लेने वाली एवं नियमित रूप से आंगनबाड़ी आने वाली है वहाँ पर इस प्रकार के समूह बन जाते हैं।

4.4.2 इस प्रकार के समूहों के आंकड़ों को देखने पर ज्ञात होता है कि समूह बनाए गये हैं, बैंक में खाते खोले गये हैं लेकिन न तो खातों में राशि जमा है और न ही समूह द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण के अभाव में आर्थिक गतिविधि भी नहीं चल रही होगी। अतः समूह को सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता जबकि वास्तविकता यह है कि बैंक ऋण न लेने वाले समूहों द्वारा भी स्वयं की बचत राशि से आर्थिक गतिविधियाँ चलायी जाकर अतिरिक्त आय सृजित की जा रही है।

4.5 अवलोकन आधारित स्वयं सहायता समूहों की प्रमुख विशेषताएँ :

(1) स्वयं सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियाँ एक समूह के रूप में संचालित न की जाकर व्यक्तिगत आधार पर संचालित की जा रही हैं। अर्थात यदि बैंकों द्वारा 40000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया तो 4 महिलाओं में ऋण राशि को बराबर बांटकर उनके द्वारा पृथक–पृथक गतिविधियाँ की जा रही हैं अथवा एक ही गतिविधि जैसे पशुपालन, डेयरी व्यक्तिगत रूप से संचालित की जा रही है।

(2) अधिकांश स्वयं सहायता समूहों का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण उनके द्वारा कार्यक्रम हेतु निर्धारित रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया जा सकता। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही समूह के गठन से लेकर बैंक ऋण दिलाने और तत्पश्चात् ऋण वसूली तक का कार्य करते हैं।

(3) अधिकांश स्वयं सहायता समूहों द्वारा डेयरी, पशुपालन, दुकान आटे की चक्की, नगीने का कार्य आदि किये जा रहे हैं।

(4) बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह की कुल बचत राशि का 4 गुना तक ऋण प्रदान किया जाता है।

(5) कुछ समूहों के कार्यकर्ताओं के अनुसार बैंक वाले ऋण के लिए बहुत परेशान करते हैं तथा बार–बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे उनके समय एवं धन दोनों का व्यय होता है।

(6) विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि अधिकांश स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है और स्वयं सहायता समूह बैंक के डिफॉल्टर नहीं हैं। यह तथ्य भी भी उभरकर आया कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य ऋण न लेकर केवल वे ही सदस्य ऋण लेते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है।

(7) कुछ समूहों की कॉर्पस फण्ड की राशि 70000 से 80000 रूपये हो गई थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा समूह के अन्य सदस्य इस राशि के रखरखाव हेतु स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। अतः बचत की राशि को सभी सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर स्वयं सहायता समूह को पुनः चालू किया गया।

(8) अधिकांश स्वयं सहायता समूह द्वारा 100 रूपये प्रति सदस्य की बचत की जाती है।

(9) जहाँ तक संभव हो एक ही मोहल्ले की महिलाएँ एक समूह में ली जाती हैं लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों का अलग से समूह बनाया जाता है।

(10) कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श करने पर यह तथ्य उभरकर आया कि पैट्रोल की राशि की कमी के कारण यात्रा करने में कठिनाई होती है। पहले एक सुपरवाईजर के पास 20 आंगनबाड़ी केन्द्र होते थे जबकि अब 1 सुपरवाईजर के पास 25 आंगनबाड़ी केन्द्र होते हैं।

(11) क्षेत्रीय कार्य के दौरान मुख्य तथ्य यह उभर कर आया कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया चल रही है। एक महिला एक ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। एक ही गांव में विभिन्न विभागों

द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाने से उनमे चल रहे स्वयं सहायता समूह के टूटने/बन्द होने की नौबत आ गई है क्योंकि विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा अलग–अलग प्रकार के प्रलोभन दिये जाकर समूह के गठन हेतु प्रेरित किया जाता है।

(12) विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य भी उभर कर आया कि कुछ स्थानों पर ऋण देने हेतु प्राईवेट कम्पनियों ने प्रवेश कर लिया है। जहाँ एक ओर बैंक ऋण प्रदान करने में अनिच्छा जाहिर करते हैं अथवा समूह को बार बार चक्कर कटवाते हैं। वहीं दूसरी ओर यह निजी कम्पनियाँ महिलाओं को आसान शर्तों पर तुरन्त ऋण उपलब्ध करा देती हैं। अतः कुछ स्वयं सहायता समूह इस ओर आकृष्ट हो रहे हैं।

4.6 कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

4.6.1 सूचनाओं का अभाव एवं विसंगतियाँ :

किसी भी कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस योजना/कार्यक्रम से संबंधित सभी मुख्य सूचनाएँ राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध हो और आँकड़ों में विसंगतियाँ नहीं हों। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समूहों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन में सबसे बड़ी बाधा विभाग के प्रत्येक स्तर पर सूचना का अभाव होना था। विभाग में राज्य, जिला एवं पंचायत समितियों द्वारा संकलित की जाने वाली सूचना में एकरूपता का अभाव पाया गया तथा प्राप्त सूचनाओं में विसंगतियाँ किसी भी परिणाम तक पहुँचने में बाधक रही है। मूल्यांकन हेतु बनायी गयी प्रलेख अनुसूचियों में कई स्थानों पर चयनित पंचायत समितियों के आंकड़े जिले से भी अधिक पाये गये। अतः यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि विभाग के मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार किया जावे। आँकड़ों में एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत समिति स्तर से राज्य स्तर तक एक ही फॉर्मेट में सूचना एकत्रित की जावे तथा उसकी भलीभांति सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् ही संकलन व सारणीयन किया जावे। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी समूह का टूटना, बिखरना व पुनः नवीन समूह का गठन है। अतः विभाग द्वारा इस प्रकार का मॉनिटरिंग फॉर्मेट तैयार किया जाना चाहिए कि वर्ष के अन्त में टूटने या बिखरने वाले समूहों की सूचना भी एकत्रित की जावे। सूचनाओं के अभाव में कार्यक्रम का विश्लेषण कर किसी भी परिणाम तक पहुँचना सम्भव नहीं है।

4.6.2 समूह गठन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण :

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह के गठन के वार्षिक लक्ष्य दिये जाते हैं। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा येनकेनप्रकारेण समूह का गठन किया जाता है। जिसमें

कार्यक्रम में रूचि न लेने वाली महिलाएँ भी सदस्य होती हैं। इन महिलाओं द्वारा नियमित रूप से बचत राशि जमा कराने के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि में भाग नहीं लिया जाता है। कुछ स्थानों पर स्वयं सहायता समूह हेतु महिलाएँ ही उपलब्ध नहीं हैं तो कई गांवों में एक ही महिला एक से अधिक समूह की सदस्य हैं। अतः सिफारिश की जाती है कि लक्ष्यों का निर्धारण व्यावहारिक हो तथा केवल उन्हीं महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बनाया जाय जो आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने में रूचि रखती हों।

4.6.3 **प्रशिक्षण का अभाव** :

विभाग में कार्यरत अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं एवं समूह के सदस्यों को योजना की अवधारणा, उपादेयता एवं उद्धेश्यों के संबंध में उचित एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के फलस्वरूप योजना पूर्ण रूपेण अपने उद्धेश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है। प्रशिक्षण की कमी तथा समूह के सदस्यों के अशिक्षित होने से महिला समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु संधारित रिकॉर्ड भी भलीभांति नहीं रखा जा रहा है। अधिकांश समूहों द्वारा केवल एक ही रजिस्टर संधारित किया जा रहा है जिसमें समूह की बचत राशि व बैठक की कार्यवाही का विवरण दिया जा रहा है। गठित समूह को विभाग द्वारा सामूहिक गतिविधि के चयन क्षमता का उन्नयन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन सम्बन्धी नवीन तकनीक तथा उत्पादित माल की बिक्री के लिए प्रचार का भी उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। राज्य स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समूह के सदस्यों को उनकी भूमिका के अनुसार पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करे। साथ ही कार्यक्रम के दिशा–निर्देश को सरल भाषा में लिखकर ग्राम पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को वितरित करें।

4.6.4 **बैंकों की कार्यप्रणाली** :

सामान्यतया बैंकों द्वारा समूह की बचत/कॉर्पस फण्ड का 2 से 5 गुना तक बैंक ऋण दिया गया है और अधिकांश जिलों में समूह का बैंक खाता अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम पर ही खोला गया है। जिन समूहों के कार्यकर्ताओं की साख अच्छी है उन्हें ही ऋण आवेदन–पत्र दिये जाते हैं। चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं के अनुसार बैंक ऋण में कागजी कार्यवाही अधिक है तथा बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण देने में काफी औपचारिकताएँ निभाई जाती हैं। समूह के अशिक्षित सदस्यों को देखते हुए बैंक की ऋण देने की कार्यप्रणाली में सरलीकरण प्रस्तावित है।

4.6.5 परिसम्पत्ति/अतिरिक्त आय का सृजन नहीं :

चयनित जिलों में अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूह की सामूहिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। केवल कुछ सदस्यों द्वारा ऋण राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधि/स्वयं के उद्योग, व्यापार में किया गया है। अधिकांश समूहों ने ऋण राशि का उपयोग घरेलू कार्यों/दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में किया है। यही कारण है कि न तो परिसम्पत्ति का सृजन हुआ है और न ही किसी प्रकार की अतिरिक्त आय हुई है। अतः सिफारिश की जाती है कि समूह के गठन के समय ही उसके उद्धेश्यों एवं प्रारम्भ की जाने वाली गतिविधि का निर्धारण किया जाए। समूह के सदस्यों को चयनित गतिविधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि समूह द्वारा एक ही व्यवसाय प्रारम्भ किया जाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। साथ ही यह भी सिफारिश की जाती है कि कार्यक्रम के तहत उन्हीं महिलाओं को सदस्य बनाया जाए जो आर्थिक गतिविधि को अपनाकर अपने परिवार की आय व जीवन स्तर बढ़ाने में रूचि रखती हों।

4.6.6 रिक्त पद :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया है कि कई स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। अतः रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य की अधिकता के कारण समूह के सदस्यों को आर्थिक गतिविधि को संचालित करने हेतु प्रेरित नहीं कर पाते उनका प्रमुख उद्धेश्य समूह का गठन तथा नियमित बचत राशि एकत्रित कर बैंक में जमा कराना है। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की मूल भावना से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे समूह को प्रोत्साहित कर आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करवा सकें।

4.6.7 बैंक को लाभ तथा सदस्य को हानि :

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो यह तथ्य उभरकर आता है कि स्वयं सहायता समूह के संचालन से बैंक को आर्थिक लाभ हुआ है तथा समूह के सदस्य को हानि हुई है। समूह के सदस्यों की समस्त बचत राशि को आपसी लेनदेन में प्रयोग किया जाना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से अधिकांश समूहों के सदस्यों की बचत राशि को तुरन्त ही बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जिस पर सदस्यों को बचत पर न्यूनतम ब्याज मिलता है। सम्पूर्ण समूह की बचत राशि को जमानत के रूप में रखकर समूह की मांग के आधार पर बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। जिस पर समूह की बचत राशि पर दिये जाने वाले ब्याज से अधिक राशि वसूल की जाती है। दूसरे शब्दों में समूह की स्वयं की बचत राशि पर कम ब्याज प्राप्त होता है तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर अधिक ब्याज लिया जाता है। जिन सदस्यों द्वारा बैंक ऋण का उपयोग किया जाता है उन्हें आर्थिक रूप से अधिक हानि

होती है। अतः पुरजोर सिफारिश की जाती है कि कार्यक्रम के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाय कि वे समूह की बचत राशि को किसी भी अवस्था में बैंक में जमा न करवाये तथा उसका आपस में ही लेनदेन करे ताकि कम ब्याज दर होने से समूह के सदस्यों को फायदा हो सके।

4.7 स्वयं सहायता समूह–सफल या असफल :

4.7.1 कार्यक्रम अन्तर्गत पिछड़े एवं गरीब महिलाओं के समूह बनाए जाकर प्रारम्भ में अपनी छोटी–छोटी बचतों को एकत्रित कर परस्पर लेनदेन किया जाता है तथा पश्चात्वर्ती काल में आर्थिक गतिविधियों हेतु बैंक से ऋण लेकर समूह द्वारा आय सृजित गतिविधियों में ऋण का उपयोग किया जाता है ताकि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। क्षेत्रीय कार्य करते समय यह तथ्य उजागर हुआ है कि यद्यपि स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं तथापि उनके सदस्यों द्वारा अलग–अलग गतिविधियाँ की जा रही है। यदि किसी समूह द्वारा एक ही गतिविधि अपनाई जा रही है तब भी समूह की सदस्य महिलाएँ अपनी आर्थिक गतिविधि के संचालन हेतु पूर्णतया स्वतंत्र हैं उनका उत्पादन, वितरण, आय, ऋण, ऋण की अदायगी सब कुछ व्यक्तिगत है। संक्षेप में यदि स्वयं सहायता समूहों का मूल्यांकन उनके लिए निर्धारित उद्धेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तो इस कार्यक्रम को सफल कहना अतिशयोक्ति होगा क्योंकि अधिकांश समूहों द्वारा आर्थिक गतिविधियाँ संचालित ही नहीं की जा रही हैं। लेकिन यदि योजना के उद्धेश्यों को दृष्टिगत न रखकर केवल समूहों की कार्यप्रणाली देखी जावे तो यह कार्यक्रम कई अप्रत्यक्ष लाभ (Unintended Objectives) प्राप्त करने में भरसक सफल रहा है। इस कार्यक्रम से आर्थिक क्रान्ति के स्थान पर सामाजिक क्रान्ति भी आयी है एव निश्चित रूप से महिलाओं में निम्न विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुई हैं :–

i. पर्दे व घर से निकलकर समूह की मीटिंग में भाग लेना
ii. अन्य सदस्यों के सम्मुख अपनी बात कहना
iii. ऋण, लेनदेन, ब्याज, पासबुक, बैंक आदि की जानकारी
iv. स्वयं को संगठित समझना
v. आवश्यकता के समय एक दूसरे की आर्थिक मदद करना
vi. अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार की चाहत
vii. किसी गतिविधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर घर की आय में वृद्धि करना
viii. बैंक/समूह की बचत से ऋण राशि प्राप्त कर पति/पुत्र के कार्य में सहयोग करना
ix. छोटी बचत की महत्ता समझना
x. स्वयं को परिवार का कमाने वाला सदस्य समझना
xi. मकान, पशु, जमीन व अन्य स्थायी सम्पत्ति अथवा घर के अन्य निर्णयों में स्वयं अपनी राय रखना
xii. स्वयं को अपने घर का महत्वपूर्ण सदस्य समझना व प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना।

4.7.2 महिलाओं में उपर्युक्त विशेषताएँ स्वयं सहायता समूह के गठन से ही आयी हैं। अतः उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर गांवों में सामाजिक क्रान्ति लाने वाला यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहा जा सकता है। आवश्यकता इस कार्यक्रम को सही दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की है। धीरे–धीरे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में एक ही गतिविधि अपनाने, उसको संयुक्त रूप से करने एवं बेचने के लिए प्रेरित करते हुए यह विश्वास दिलाना होगा कि सामूहिक रूप से कार्य करने से उनकी आय में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि होगी और उन्हें लघु उद्योग के सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे तभी इस कार्यक्रम को योजना की भावना के अनुरूप सफलता प्राप्त हो सकेगी।

4.8 **निष्कर्ष** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजना के संबंध में विभाग के अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों, बैंक अधिकारियों, समूह की सदस्य महिलाओं से चर्चा करने व अवलोकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों के योजना के पूर्ण जानकारी/प्रशिक्षण के अभाव में योजना अपने प्रस्तावित प्रमुख उद्धेश्यों (सामूहिक आर्थिक गतिविधि) को प्राप्त करने में सफल नहीं रही है। लेकिन समूह की सदस्य महिलाओं में संगठित होने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के साथ–साथ समूह के कार्पस फण्ड से अपनी छोटी मोटी आवश्यकता की पूर्ति करने व बचत करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। वे घर से निकलकर बैंक तक पहुँची है बचत करना सीख गयी है, पहले से अधिक जागरूक हुई है। छोटी मोटी घरेलू आवश्यकताओं हेतु पड़ौसी, रिश्तेदार या साहूकारों के यहाँ नहीं जाना पड़ता। संक्षेप में महिला समूहों में सामाजिक क्रान्ति आयी है।

यद्यपि स्वयं सहायता समूह एक समूह के रूप में किसी एक आर्थिक गतिविधि को नहीं चला रहे हैं लेकिन ऋण प्राप्त करने के पश्चात् उसका अलग–अलग उपयोग कर ऋण की किश्तें भी नियमित रूप से चुका रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आसानी से देखा जा सकता है। बढ़ी हुई आमदनी का उपयोग इन महिलाओं द्वारा रोजगार के अधिक संसाधन जुटाने, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, पति अथवा स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाने, जेवर खरीदने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में किया जा रहा है। महिलाएँ पहले से अधिक जागरूक हुई हैं और इस कार्यक्रम में रूचि रखती हैं। यही कारण है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा समूह की मासिक बैठकों में भाग लिया जाता है। यहाँ यह कहना भी समीचीन होगा कि जिस स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक्टिव हैं तथा कार्यक्रम में रूचि ले रही हैं वहाँ ये अधिक सफल हैं। लेकिन कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ता द्वारा जितनी अधिक रूचि दिखाई जाती है उसका कार्यभार उतना ही अधिक बढ जाने से इसका विपरीत परिणाम भी देखने को मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अच्छे कार्यकर्ताओं/अधिकारियों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। यह प्रोत्साहन नकद राशि के रूप में, मैरिट सर्टिफिकेट के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में दिया जा सकता है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि योजना क्रियान्विति करने वाले सदस्य अधिकारियों कर्मचारियों व समूह के सदस्यों को योजना के क्रियान्वयन का गहन प्रशिक्षण दिया जाये, सरल भाषा में योजना के उद्धेश्यों व विशेषताओं के पेम्पलेट बनाकर ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए जाएं नियमित निरीक्षण किया जाय, ऋण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाय, समूह के सदस्यों को एक ही आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाय, कॉर्पस फण्ड की राशि को बैंक में जमा न करवाकर समूह द्वारा ही आपसी लेनदेन में काम में लिया जाय, विभाग के रिक्त पदों को भरा जावे तथा नियमित बैठकें आयोजित कर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में सुधार लाया जावे ताकि समय–समय पर कार्यक्रम का सही मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया जा सके।

———

परिशिष्ट–I

वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक महिला स्वयं सहायता समूह की वर्षवार प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	गठित समूहों की संख्या	समूहों की संख्या जिनको बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया	ऋण स्वीकृत राशि (रूपये लाखों में)	प्रशिक्षित समूहों की संख्या	आय सृजन से जुड़े हुए समूहों की संख्या	टूटे हुए समूहों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2003–04	35550	10908	2244.16	7569	–	–
2	2004–05	27468	16808	3773.59	17820	4480	–
3	2005–06	20357	31682	5167.50	22717	7802	3734
	योग :	**83375**	**59398**	**11185.25**	**48106**	**12282**	**3734**

परिशिष्ट–II

जिलेवार बैंक ऋण प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह की वर्षवार प्रगति (वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक)

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्षवार संख्या			योग (अवरोही क्रम में)
		2003–04	2004–05	2005–06	
1	भीलवाड़ा	1413	1456	1200	4069
2	चित्तौड़गढ़	121	1001	2747	3869
3	जयपुर	120	1456	2013	3589
4	भरतपुर	283	1562	1679	3524
5	जोधपुर	1789	870	680	3339
6	सीकर	649	709	1886	3244
7	झालावाड़	366	404	2390	3160
8	कोटा	146	686	2047	2879
9	अलवर	779	592	1172	2543
10	बांसवाड़ा	482	1224	833	2539
11	टोंक	1638	340	544	2522
12	डूंगरपुर	94	488	1838	2420
13	बीकानेर	150	873	1229	2252
14	बारां	246	748	1173	2167
15	अजमेर	1023	34	1109	2166
16	झुन्झुनूं	160	398	1209	1767
17	उदयपुर	69	517	1019	1605
18	गंगानगर	221	294	1062	1577
19	चुरू	244	442	761	1447
20	पाली	65	473	636	1174
21	सिरोही	151	333	679	1163
22	हनुमानगढ़	94	267	723	1084
23	राजसमन्द	224	694	151	1069
24	बून्दी	64	255	440	759
25	बाड़मेर	57	31	654	742
26	नागौर	31	142	513	686
27	दौसा	51	189	401	641
28	सवाईमाधोपुर	41	115	357	513
29	धौलपुर	15	128	205	348
30	जालौर	91	34	157	282
31	करौली	11	15	129	155
32	जैसलमेर	20	38	46	104
	योग :	10908	16808	31682	59398

परिशिष्ट–III

स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत चयनित न्यादर्श अनुसार भरी गई अनुसूचियों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों के नाम	भरी गई अनुसूचियों का प्रकार एवं संख्या				
				लाभार्थी अनुसूची (ऋण प्राप्त करने वाले)	अलाभार्थी अनुसूची (ऋण प्राप्त नहीं करने वाले)	बैंक अनुसूची	सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची	प्रलेख अनुसूची जिला/ पंचायत समिति
1	डूंगरपुर	1. सीमलवाडा	1. सीमलवाड़ा	4	5	5	8	3
			2. छम्बोला	7	5			
		2. सागवाड़ा	1. डेचा	8	3			
			2. काहेला	8	5			
2	दौसा	1. लालसोट	1.पट्टी किशोरपुरा	7	4	4	6	3
			2. मण्डावरी	6	4			
		2. दौसा	1. भाण्डारेज	12	3			
			2. सेन्थल	5	8			
3	उदयपुर	1. भीण्डर	1. सारंगपुरा	9	5	3	16	3
			2. पीथलपुरा	11	5			
		2. झाडोल	1. गोदाना	12	5			
			2. जैकडा	8	3			
4	हनुमानगढ़	1. हनुमानगढ़	1. कोहला	18	–	3	13	3
			2. सहजीपुरा	2	1			
		2. नोहर	1. विकराली	10	–			
			2. देईदास	10	–			
5	जैसलमेर	1. जैसलमेर	1. नाचना	4	4	4	7	3
			2. धापसर	4	4			
		2. सांकड़ा	1. रामदेवरा	8	5			
			2. खेतोलाई	9	5			
6	जोधपुर	1. शेरगढ़	1. शेरगढ़	10	5	6	8	3
			2. डेंचू	11	–			
		2. ओसियाँ	1. भवाद	9	5			
			2. ओसियाँ	10	5			
	योग : 6	**12**	**24**	**202**	**89**	**25**	**58**	**18**

मूल्यांकन कार्य सम्पादन में सहभागी अधिकारी/कर्मचारी

मुख्यालय स्तर :

1. श्रीमती मधु पोखरना, संयुक्त निदेशक
2. श्री पन्नालाल शर्मा, अन्वेषण सहायक
3. श्री सुभाष चन्द पालीवाल, कम्पाईलर
4. श्री कैलाशपति शर्मा, कम्पाईलर
5. श्री शिव प्रसाद शर्मा, शीघ्रलिपिक

क्षेत्रीय कार्य :

1. श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल, अन्वेषण सहायक, उदयपुर
2. श्री रणजीत सिंह मीणा, अन्वेषण सहायक, जोधपुर
3. श्री राधारमण गुप्ता, अन्वेषक, हनुमानगढ़
4. श्री अनिल मालोदिया, अन्वेषक, जैसलमेर
5. श्री ओम प्रकाश मेहता, अन्वेषक, डूंगरपुर
6. श्रीमती सविता मार्य, अन्वेषक, दौसा